केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रारूप प्रतिवेदन–447)

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (RBH) के लाभों का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - xiii**
प्रथम	अध्ययन परिचय	1–6
द्वितीय	प्रोजेक्ट प्रगति	7–14
तृतीय	सर्वेक्षण परिणाम	15–28
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	29–32

*****

उद्‌बोधन

ग्रामीण दक्षकार आज भी स्थानीय स्तर पर कार्यरत है लेकिन प्रतिस्पर्धा के युग में दक्षकार के उत्पाद स्थानीय बाजार, आधुनिक परिवेश में प्रशिक्षण, सस्ता कच्चा माल, ज्ञानवर्धन आदि के अभाव में अनार्थिक होते जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर सार्वजनिक, निजी व पंचायत साझेदारी के रूप में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के विकास एवं वस्तुओं का उत्पादन कर विपणन योग्य बनाया जाकर ग्रामीण दक्षकारों को खुशहाल बनाया जाने के लिए ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र योजना राज्य में प्रारम्भ की गयी।

अध्ययन से दृष्टिगत हुआ है कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के क्रियान्वयन में साझेदारों एवं अन्य एजेन्सियों में प्रभावी तालमेल का अभाव रहा है, जिससे योजना की आशानुरूप क्रियान्विति नहीं हो सकी है। योजना को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं नरेगा जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़कर क्रियान्विति किये जाने से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र प्रन्नोत होकर ग्रामीण दक्षकारों के लिए स्थायी रोजगार एवं आर्थिक सहायता का जरिया बन सकेंगे जिससे दक्षकार संवर्धन, पलायन पर रोक, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सुरक्षा उपलब्ध हो सकेगी। प्रस्तुत प्रतिवेदन में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों को प्रभावी बनाने हेतु अन्य सुझाव भी अंकित किये गये हैं, जिससे विभाग लाभान्वित होगा।

मुझे आशा है कि प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

तिथि : अगस्त, 2010
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

ग्रामीण क्षेत्र के दक्षकारों द्वारा अपनी दक्षकारी का संवर्द्धन उपरान्त आधुनिक उत्पाद तैयार करने, कच्चा माल, विपणन आदि के लिए पंचायत राज संस्थाओं, सरकारी व निजी सैक्टर उद्योगों के सम्बल की आवश्यकता महसूस की गयी।

ग्रामीण दक्षकारों के लिए कार्यरत ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (RBH) द्वारा योजनान्तर्गत देय प्रशिक्षण, आधारभूत ढाँचा सृजन, कच्चे माल की उपलब्धता तथा विपणन गतिविधियों के आकलन हेतु सैम्पल आधार पर चयनित इकाइयों का क्षेत्र में अध्ययन दल द्वारा भौतिक सत्यापन एवं दक्षकारों, ग्रामीणों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, उद्योग समूहों तथा संबंधित अधिकारियों से विमर्श/ साक्षात्कार कर एकत्र सूचना तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रलेख सूचना के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

अध्ययन निष्कर्ष इंगित करते हैं कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (RBH) की स्थापना सिद्धान्त रूप से व्यावहारिक योजना थी लेकिन क्रियान्वयन में प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी। योजना के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों का प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव भी दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक : अगस्त, 2010
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों (RBH) के लाभों का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I **प्रस्तावना** :

आर्थिक विकास के स्त्रोतों की क्रियान्विति एवं पंचायतों की जिम्मेदारी को विकसित करने के उद्धेश्य से मान्नीय प्रधानमन्त्री ने पंचायतों द्वारा विकासशील ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की विचारधारा को अमल में लाने की घोषणा की। इसी क्रम में 25 जून, 2005 को पंचायती राज मंत्रालय एवं सी.आई.आई. देश के विभिन्न ब्लॉक में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र बनाये जाने के संबधं में बैठक आयोजित की गई जिसमें पंचायत उद्योग एवं व्यवसाय के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्धेश्य से एक साथ काम करने का निश्चय किया एवं यह तय किया गया कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र सार्वजनिक/निजी पंचायत पार्टनरशिप के रूप में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के विकास एवं वस्तुओं का उत्पादन कर उसे Larger Market Access के योग्य बनाया जायेगा।

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र का उद्धेश्य समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी दक्षकारी का उपयोग वस्तुओं को बनाने में करना एवं इसके लिए सरकार एवं निजी सैक्टर उत्पादों को विकसित करने, बाजार को विस्तृत रूप देने, रोजगार सृजन (Job Create) करने एवं आय एवं समुदाय को मजबूत बनाने में सहयोग करना है।

ग्रामीण युवकों में ग्रामीण दक्षकार संवंर्धन एवं शहरों में पलायन को रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसी उद्धेश्य की कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्र योजना आरम्भ की गई है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को बेहतर प्रयोग कर बनाये गये उत्पादों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास योग्य बनाने एवं स्थानीय स्तर पर कृषकों, ग्रामीण एवं कारीगरों आदि को समृद्ध बनाने एवं रोजगार के अवसर उपलघ करवाने के उद्धेश्य से ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना की गई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा माह जुलाई, 2008 तक ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने के क्रम में ग्रामीण स्तर पर प्रमुख उत्पादों एवं व्यवसायों के विकास एवं संवर्धन कर ग्रामीणों, कृषकों एवं कारीगरों को समूह बनाने के लिए डीपीआईपी, उद्यान विभाग, रूडा, उद्योग विभाग आदि संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।

II अध्ययन की आवश्यकताः

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के लाभों का अध्ययन निदेशालय मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया।

III अध्ययन के उद्धेश्यः

यह अध्ययन निम्न उद्धेश्यों के आधार पर किया गया–

1. ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों द्वारा लक्षित दक्षकारों को प्रसारित लाभों यथा प्रशिक्षण गतिविधियाँ, अनुदान वितरण, कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन गतिविधियों का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण दक्षकारों को उपलब्ध करवायी गयी सुविधाओं से रोजगार दिवसों एवं आय वृद्धि का आंकलन करना।

3. विभाग द्वारा एन.जी.ओ. को उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि के उपयोग का आंकलन।

4. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की पूर्ण जानकारी एवं संचालन में अनुभूत कठिनाइयों एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव।

IV अध्ययन न्यादर्शः

विभाग द्वारा चयनित सभी एन.जी.ओ./सरकारी विभाग (संस्थाऐं) को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा गया प्रथम श्रेणी में वे संस्थाऐं आती है जो एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों का आधार मानकर कार्य आरम्भ कर दक्षकारों को लाभान्वित कर रही है।

द्वितीय श्रेणी में वे संस्थाएँ आती है जिन्होने एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों के आधार पर निश्चित व्यवसाय नहीं प्रारम्भ कर, अन्य व्यवसाय में कार्य कर रही है।

तृतीय श्रेणी में वे संस्थाएँ आती है जिन्होने अभी तक आपसी सहमति पत्र के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया है एवं विभाग को कोई सूचना नहीं भिजवाई है।

V संन्दर्भ अवधि

प्रलेख सूचना वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक की ली गयी एवं अन्य सूचनाएं सर्वेक्षण दिनांक तक ली गयी।

VI **योजनान्तर्गत प्रोड्क्टस की प्रगति** :

1. **चुरू (सुजानगढ़)/बून्दी बन्धेज** :

चुरू जिले में इस केन्द्र के अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण ही दिया गया जिससे 4 ग्रामीण एवं 173 शहरी महिलाएँ लाभान्वित की गयी। यह महिलाएँ प्रशिक्षण उपरान्त 1000/– प्रति माह तक कमा रही है तथा 17 सीआईजी के लिए रूपये 22500/– के हिसाब से (कुल 382500/–) प्रत्येक सीआईजी के विकास के लिए उपलब्ध करायी गयी। इस राशि मे से रूपये 7500/– प्रति माह प्रति शिविर सीआईजी प्रशिक्षण के लिए व्यय किये गये।

2. **चुरू (रतनगढ़) (गलीचा निर्माण)** :

इस केन्द्र में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 2008 तक कार्यक्रम के प्रथम चरण में बीपीएल परिवार की 300 महिलाओं को कालीन बुनाई हेतु प्रशिक्षण दिया गया तथा यह कार्यक्रम 45 ग्रामों में 30 सीआईजी की सहायता से चलाया जा रहा था जबकि डीपीआईपी से प्राप्त जून, 2009 तक की प्रगति अनुसार जयपुर रग्स द्वारा 23 समूहों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं जयपुर रग्स के द्वारा जॉब बेस के आधार पर इन समूह सदस्यों से कार्य करवाया जा रहा है।

3. **दौसा (सिकराय) (स्टोन)**:

इस केन्द्र के संचालन के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जुलाई 2008 तक की प्रगति की सूचना अप्राप्त दर्शायी गयी है जबकि डी पी आई पी दौसा द्वारा 13 समूहों को प्रशिक्षण दिया जाना अवगत कराया गया है। वर्तमान में ये सभी प्रशिक्षित समूह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

4 (अ) **धौलपुर (बाडी/धौलपुर) (गलीचा निर्माण)** :

ग्रामीण विकास तथा डी.पी.आई.पी. से प्राप्त प्रगति के अनुसार समूहों द्वारा निर्धारित गतिविधि गलीचा निर्माण के स्थान पर अन्य गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन इत्यादि लेने के कारण एम.ओ.यू. अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया।

4 (ब) **धौलपुर (बसेड़ी) (गलीचा निर्माण)**

इस केन्द्र के लिए डी.पी.आई.पी को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया किन्तु ग्रामीण विकास विभाग तथा डी.पी.आई.पी से प्राप्त प्रगति अनुसार आपसी सहमति पत्र अन्तर्गत निर्धारित कार्य के स्थान पर अन्य गतिविधियों का संचालन कर दिया गया।

5. **अजमेर (पीसांगन) (फ्लोरीकल्चर)**

ग्रामीण विकास से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति के अनुसार नीलकमल बायो फ्यूल प्रा.लि. द्वारा आपसी सहमति पत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना विभाग को प्रेषित नहीं किया जाना अवगत कराया गया है। जिससे पक्षकारों में आपसी समन्वय का अभाव परिलक्षित होता है।

6. **जयपुर (दूदू) (ब्ल्यू पॉटरी)**

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति के अनुसार 200 व्यक्ति लाभान्वित किये गये जिनमें से 100 ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलबध करवाया गया तथा रूडा से प्राप्त प्रगति अनुसार 3 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर 60 दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक डिजाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। रूडा द्वारा उत्पादों के विक्रय हेतु चण्डीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर तथा जयपुर में समय–समय पर 12 मेलों का भी आयोजन किया गया।

7. **जैसलमेर (ग्राम काठोड़ी) (जैसलमेरी शॉल/पट्टू)**

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति अनुसार आदिनांक तक आपसी सहमति पत्र के अन्तगर्त कोई कार्य नहीं किया गया था। अर्थात प्रगति शून्य रही।

8. **झालावाड़/पाटन अगरबत्ती उद्योग/कपडा (कताई,बुनाई)** :

डी.पी.आई.पी. द्वारा उपलब्ध 30.06.09 तक प्रगति की सूचना के आधार पर अगरबत्ती उद्योग में 343 महिलाएँ पंजीकृत सदस्य हैं। इनके द्वारा औसतन 3 किलो प्रति सदस्य अगरबत्ती उत्पादन किया जाता है। जिसकी उन्हें 16 रूपये प्रति किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाती है।

कपड़ा बुनाई में पाटन पंचायत समिति में शिव हाथकरघा समिति असनवार द्वारा 60 समूहों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा लगभग 1 लाख मीटर कपड़ा प्रतिमाह तैयार किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 65 लाख रूपये टर्नओवर किया गया।

योजना के अन्तर्गत गतिविधि में सहयोग प्रदान कराने वाली संस्थाओं का सहयोग लेकर मौके की स्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया जाना था परन्तु दक्षकारों से वार्ता करने पर जो तथ्य सामने आये वे ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के उद्धेश्यों को पूरा करने में असफल रहे। आज भी ग्रामीण दक्षकार, कृषक एवं कारीगर मजदूरी के रूप में अन्य संस्था पर आश्रित हैं।

VII **सर्वेक्षण परिणाम** :

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण दस्तकारों के कौशल सवर्द्धन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर स्थानीय उत्पादों एवं व्यवसायों के विकास हेतु स्थापित ग्रामीण विकास केन्द्रों की 8 इकाईयों मे से 3 इकाईयों का जिसमें 1. ब्ल्यू पोटरी/आंवला परिशोधन, 2. गलीचा निर्माण, 3. बांधनी/बून्दी बंधेज उद्योग का चयन किया गया।

अध्ययन हेतु एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों को आधार मानकर इकाई स्थापित करने वाले दो केन्द्रों यथा ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग दूदू जिला जयपुर एवं बांधनी उद्योग, सुजानगढ़ जिला चुरू का चयन किया गया एवं एक ऐसी इकाई का चयन किया गया जिसने एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों के आधार पर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर अन्य व्यवसाय गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन आदि कार्य प्रारम्भ किया गया। इन तीन चयनित इकाइयों के लिए एम.ओ.यू. में वर्णित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

(अ) **ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग** :

माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सुझावों की अनुपालना में तथा केन्द्रीय मंत्रालय पंचायती राज, राजस्थान सरकार तथा भारतीय उद्योग संघ के संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर कोट जेवर, पंचायत समिति दूदू, जयपुर में ब्ल्यू पॉटरी ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र प्रारम्भ किया गया। यह केन्द्र लोक निजी तथा पंचायत तीनों की भागीदारी के आधार पर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों तथा वृहत बाजार व्यवस्था हेतु वस्तुओं का उत्पादन के मूल उद्धेश्य के साथ प्रारम्भ किया गया।

ब्ल्यू पॉटरी उद्योग सर्वेक्षण के दौरान कार्यरत पाया गया। इस उद्योग की नोडल एजेन्सी रूडा (RUDA) है तथा ग्रामीण/हैरीटेज क्राफ्ट उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा और अधिक उन्नत उत्पादकता बनाये रखने हेतु वर्ष 2006–07 में रूडा (RUDA), नीरजा इन्टरनेशनल तथा पंचायत समिति, दूदू के मध्य एम.ओ.यू. पर 3 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किये गये। जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना है।

VIII **विभिन्न कार्यकारी दलों की उपलब्धियाँ** :

नोडल एजेन्सी रूडा द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व :

(i) मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत नोडल एजेन्सी रूडा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अर्जित उपलब्धियों के संबंध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि रूडा द्वारा प्रमुख उत्पादों हेतु लघु खनिज उप क्षेत्र (राज्य आयोजना मद) द्वारा 3.00 लाख रूपये राशि की व्यवस्था की गयी जो कि व्यवसाय हेतु पर्याप्त होना अवगत कराया गया।

(ii) विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में एक एवं वर्ष 2008–09 में 2 इस प्रकार कुल 3 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर 60 दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 दस्तकारों को प्रशिक्षित किया गया।

(iii) रूडा द्वारा केन्द्र में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु राज्य स्तर पर तथा राज्य से बाहर बाजार उपलब्ध करवाये गये, जिसमें CII मेला चण्डीगढ़, सरस मेला IITF, नई दिल्ली, D-CH मेला 2008, जयपुर, दस्तकार मेला, बैंगलोर एवं दिल्ली, सूरजकुण्ड मेला, नई दिल्ली आदि प्रमुख हैं जहाँ उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त किया गया।
(iv) विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों की डिजाइन निर्धारण हेतु वर्ष 2007–08 में एक तथा वर्ष 2008–09 में 1 कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(v) रूडा द्वारा बाजार सुविधा प्रदान करने के दायित्व की पूर्ति हेतु इकाई के उत्पादों के विक्रय के लिए प्रतिवर्ष 3 मेले के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 2006–07 में 4, वर्ष 2007–08 में 3 तथा वर्ष 2008–09 में 5 इस प्रकार कुल 12 मेलों का आयोजन किया गया, जो विभाग की योजना के प्रति अच्छी उपलब्धि का परिचायक है।

(vi) रूडा द्वारा व्यवसाय में निर्मित उत्पादों की पहचान हेतु वर्ष 2007–08 में **जयपुर ब्ल्यू** के नाम से ट्रेडमार्क एवं वर्ष 2008–09 में जी आई (Geographical Indication Act 1999) अपनाया जाना अवगत कराया गया जिसके परिणामस्वरूप 'जयपुर ब्ल्यू' को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिली तथा पेटेन्ट अधिकार मिलने से विश्व में कहीं भी अन्य उत्पादक इसका उत्पादन/विपणन अन्य किसी नाम से नहीं कर सकेंगे।

नीरजा इन्टरनेशनल संस्था द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व :

कार्यकारी संस्था नीरजा इण्टरनेशनल द्वारा MOU के निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अर्जित उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :–
(i) नीरजा इण्टरनेशनल संस्थान द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में मूल्यांकन दल को अवगत कराया गया कि दस्तकारों को अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध कराने के हरसम्भव प्रयास किये जाते हैं। संस्था द्वारा 50 प्रतिशत कच्चा माल पहले मंगवा दिया जाता है, जिसके लिए दस्तकार बाद में भुगतान करते रहते हैं।

(ii) तैयार उत्पादों की विपणन व्यवस्था तथा व्यावसायिक विकास योजना हेतु प्रतिवर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है तथा उत्पाद विक्रय के लिए भारत एवं अन्य देशों में भी मेलों का आयोजन कर प्रत्येक मेले में 2–2 दक्षकारों को भी भेजा जाता है।

(iii) आगामी 3 वर्षों की व्यावसायिक विकास योजना तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष उत्पाद मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ाये जाने का प्रावधान है तथा और अधिक व्यवसाय विकास हेतु नये–नये डिजाइन तथा नये–नये कलर्स तैयार करने के लिए दक्षकारों को समय–समय पर संस्था द्वारा प्रशिक्षण/जानकारी दी जाती रहती है।

पंचायत समिति, दूदू द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व :

(i) पंचायत समिति, दूदू की जिम्मेदारियों में से प्रमुख आधारभूत ढाँचे जिसमें भवन, सड़क, बिजली, पानी, संचार आदि सुविधाओं में निरन्तर सुधार करना है। किन्तु सर्वेक्षण के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने अवगत कराया कि सड़क सुधार, पावर कनेक्टिविटी, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के बारे में बजट प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं करवाया जा सका है।

(ii) सामाजिक वानिकी के विकास के बारे में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि क्षेत्र की जमीन क्षारीय तथा फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण आँवला के पेड़ों के लिए यहाँ की भूमि उपयुक्त नहीं है।

(iv) दस्तकारों की दक्षकारी एवं Infrastructure को विकसित करने हेतु वर्ष में 2–3 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें प्रति कैम्प लगभग 70 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर करीबन 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(v) अध्ययन के दौरान मूल्यांकन दल को यह भी अवगत कराया गया कि निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु पंचायत समिति के सहयोग से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर एवं राज्य से बाहर जिनमें बैंगलोर, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई तथा गोआ प्रमुख हैं, में भी बाजार उपलब्ध कराये गये।

IX कार्यकारी दलों द्वारा उत्पाद प्रक्रिया एवं अन्तराल विश्लेषण :

सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा कार्यकारी दलों द्वारा तैयार उत्पाद का कच्चे माल का पक्के माल तक पहुँचने की प्रक्रिया तथा उसके पश्चात् माल के बाजार तक विपणन व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहने पर अवगत कराया गया कि उत्पाद को तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी भट्टियाँ उचित मापदण्ड की नहीं होने के कारण पक कर आने वाला माल शत प्रतिशत मात्रा में नहीं आता जिससे माल की लागत बहुत बढ़ जाती है एवं परिणामस्वरूप माल के दामों में वृद्धि के कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में तैयार माल का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिकना मुश्किल होता है तथा तैयार उत्पादित माल लेने हेतु राज्य स्तर पर संस्थाओं का अभाव होने से भी उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता।

X **तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण व्यवस्थाः**

दक्षकारों को नई–नई तकनीकी के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु नोडल एजेन्सी रूडा तथा पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नयी–नयी डिजाईन तथा नये कलर्स तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा तकनीकी विकास के लिए CGCRI (Central Glass & Ceramic Research Institute) से अध्ययन करवाया गया जिसके उपरान्त संस्थान में गैस आधारित भट्टी व उन्नत ग्लेज के लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

XI **उत्पाद की गुणवत्ता एवं पैकेजिंगः**

संस्थान के सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल के सदस्यों द्वारा इकाई में उत्पादित वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करने पर माल की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग उतम किस्म की पायी गयी।

अतः निष्कर्ष के तौर पर योजनान्तर्गत दक्षकारों को उत्पाद तैयार करने हेतु कच्चा माल, तैयार माल के विपणन की व्यवस्था, रोजगार की निरन्तरता तथा नई–नई डिजाइन निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजन आदि की व्यवस्था समुचित न होने से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र धीरे–धीरे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। जिससे निर्धारित उद्धेश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है।

(ब) **बांधनी उद्योग, सुजानगढ़** :

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के लाभों के अध्ययन हेतु मूल्यांकन करने के लिए द्वितीय केन्द्र के रूप में बांधनी़ उद्योग, सुजानगढ़ जिला चुरू का चयन किया गया।

यह ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र भी लोक–निजी पंचायत समिति साझेदारी मॉडल पर आधारित था जिसका मुख्य उद्धेश्य क्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन हेतु बंधेज (टाई एण्ड डाई) कला के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा तथा संसाधनों का उपयोग करके रोजगार उपलब्ध कराना था जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बांधनी कला को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत समिति, सुजानगढ़ जिला चुरू में बनाये केन्द्र को मूर्त देने हेतु हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुसार सामूहिक विकास हेतु DPIP योजना के तहत् ''बंधेज (टाई एण्ड डाई) समूह'' का निर्माण किया गया जिसमें लगभग 180 सदस्यों (18 सी.आई.जी.) के समूह का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सुजानगढ़ क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक रंगरेज तथा लगभग 20,000 ग्रामीण महिलाएँ इस बंधेज कला से जुड़ी हुयी हैं। इसके अलावा क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवार से जुड़ी अन्य महिलाओं की पहचान कर उन्हें DPIP की सहायता से समूह को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।

XII विभिन्न कार्यकारी दलों की अर्जित उपलब्धियाँ :

A. HDN टेक्सटाइल द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व :

योजनान्तर्गत MOU के अनुसार उत्पादन चैम्पियन के रूप में HDN टेक्सटाइल का मुख्य दायित्व बूंदी बंधेज कार्य में कौशल वृद्धि करने एवं माल के विपणन व्यवस्था एवं विभिन्न समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था ताकि समूहों की महिलाओं को लगातार कार्य मिलता रहा। संस्था प्रधान ने इस संदर्भ में अवगत कराया कि 17 समूहों में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम 19 फरवरी, 2007 को पूर्ण कर लिया गया। DPIP चुरू द्वारा दिनांक 25.08.2007 को ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के लिए बूंदी बंधेज क्लस्टर का प्रस्ताव मांगा गया जिसे दिनांक 27.10.07 को स्वपोषित आधार पर 133 समूहों की महिलाओं ने अपना अनुमोदन देकर प्रस्ताव DPIP चुरू व जयपुर के अधिकारियों के समक्ष प्रेषित किया। तत्पश्चात क्लस्टर हेतु प्रस्ताव दिनांक 06.01.08 को DMERT के समक्ष प्रस्तुत किया, उन्होने अपनी सहमति देते हुए DPIP जयपुर को भिजवाया जाना सूचित किया किन्तु इसके पश्चात योजनान्तर्गत प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं हुयी।

संस्था प्रधान ने यह भी अवगत कराया कि राज्य परियोजना प्रबन्धक इकाई द्वारा सूचित किया गया है कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की नोडल एजेन्सी DPIP के स्थान पर वर्ष 2009 में उद्योग विभाग को कर दिया गया है। संस्था द्वारा उद्योग विभाग, चुरू से सम्पर्क करने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि पुनः संशोधन कर वर्तमान में उद्योग विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को उक्त दायित्व सौंपा गया है।

उक्त समस्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि विभागों में आपसी समन्वय का अभाव होने तथा योजना के उद्धेश्यों पर प्रभावी तरीके से कार्य न करने के कारण योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

B. मरू शक्ति संस्थान द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व :

योजनान्तर्गत स्थापित इकाई का मूल्यांकन दल द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर अवगत कराया गया कि मरू शक्ति संस्थान द्वारा DPIP योजनान्तर्गत 17 समूहों को बूँदी बंधेज के लिए 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। जिसमें 11 ग्रामों से कुल 174 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन महिलाओं को बूँदी बंधेज बांधना, छपाई एवं रंगाई कार्य के तहत प्रशिक्षण दिया गया।

मरू शक्ति संस्थान ने ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के तहत ग्रामीण विकास विभाग को इन समूहों का एक प्रोजेक्ट DPIP के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें इन महिलाओं का एक फैडरेशन का गठन कर प्रदर्शनियों एवं मेलों के माध्यम से कपड़े बेचना था लेकिन DPIP प्रोजेक्ट पूर्ण होने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

C. **नोडल एजेन्सी DPIP द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

योजनान्तर्गत ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के संचालन हेतु निर्धारित नोडल एजेन्सी DPIP की परियोजना अवधि में कोई दायित्व पूर्ण नहीं किया गया। डी पी आई पी परियोजना के अवसान बाद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को नोडल एजेन्सी बनाया गया लेकिन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ ने भी इस प्रोजेक्ट में कोई कार्य नहीं किया।

D. **पंचायत समिति द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

MOU में वर्णित दायित्वों को पूर्ण करने में पंचायत समिति, सुजानगढ़ की भूमिका नगण्य पायी गयी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अधिकांश महिलाओं का कोई आय स्त्रोत नहीं है तथा वे बूँदी बंधेज कार्य से 15–20 रूपये ही प्रतिदिन कमा रही हैं। अतः इस संबंध में विशेष प्रयास कर महिलाओं में प्रशिक्षण के द्वारा कौशल वृद्धि के साथ–साथ उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था भी की जावे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके व उनका मध्यस्थों द्वारा शोषण नहीं हो। यद्यपि DPIP योजना समाप्त होने के फलस्वरूप ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की योजना भी समाप्त हो गयी है। फिर भी एस.जी.एस.वाई (S.G.S.Y.) जैसी योजना से जोड़कर पर्याप्त बजट का प्रावधान कर पुनः प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(स) **भैंस/बकरी पालन उद्योग धौलपुर** :

बाड़ी/बसेड़ी (धौलपुर) कारपेट उद्योग के लिए जयपुर रग्स प्रा.लि. एवं सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज राजस्थान एवं डीपीआईपी को पार्टनर्स बनाया गया एवं दिनांक 05.08.06 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में कारपेट उद्योग के विकास हेतु दरी/गलीचा आदि का कार्य हाथ में लिया गया लेकिन क्षेत्र की परिस्थितियों एवं परियोजनाओं की सफलता/ असफलता को ध्यान में रखते हुए निदेशक, डी.पी.आई.पी. द्वारा एम.ओ.यू. की कार्य प्रकृति के विपरीत अन्य कार्य यथा पशुपालन कार्य परियोजना स्वीकृत की गई।

जिले में कारपेट उद्योग की जगह बकरी/भेंस पालन स्वीकृत हुई लेकिन सर्वे दिनांक को योजना बन्द पाई गई।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नोडल विभाग एवं गैर सरकारी संगठन के मध्य आपसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो हुए परन्तु क्षेत्र की परिस्थिति एवं परियोजनाओं की सफलता/असफलता के विपरीत निदेशक, DPIP द्वारा MOU's की कार्य प्रकृति के विपरीत भैंस/बकरी पालन, डेयरी इत्यादि गतिविधि लेने के कारण योजना असफल सिद्ध हुई। योजनान्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता इतनी कम थी कि उसका उपयोग घर के खर्चों में कर लिया गया। इस प्रकार ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों का उद्धेश्य एक विफल प्रयास रहा।

XIII **कठिनाइयाँ एवं सुझाव** :

कार्यक्रम से संबंधित नोडल एजेन्सी पंचायत समितियाँ, संस्थान एवं लाभार्थियों से योजना क्रियान्वयन के दौरान अनुभूत कठिनाईयाँ एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव पर भी विचार प्राप्त किये गये। प्राप्त कठिनाइयों एवं सुझावों का इकाईवार विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग :

1 माल को पकाने की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पाद का नुकसान होता है। भट्टियाँ उचित मापदण्ड की नहीं होने से पककर आने वाला माल 100 प्रतिशत नहीं मिल पाता इसमें टूटफूट हो जाती है एवं फिनिशिंग नहीं आती। इसके अतिरिक्त लकड़ी महंगी होने के कारण माल की लागत बढ़ जाती है एवं लागत बढ़ने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिकना मुश्किल है। अतः सुझाव है कि माल को पकाने हेतु आधुनिक मशीन Electronic Furnance का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

2. क्षेत्रीय भूमि में फलदार वृक्ष की आर्थिकता का सर्वेक्षण उपरान्त ही प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जावे।

3. गांव में सामुदायिक भवन, सभा भवन, शौचालय आदि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था बजट के अभाव में नहीं हो पाई।

अतः उक्त कार्यों हेतु बजट मिलना चाहिए ताकि कार्य संबंधी प्रशिक्षण गांव में ही दिया जा सके।

4. योजना का उद्धेश्य सभी वर्ग के ग्रामीण स्थानीय दक्षकारों द्वारा निर्मित नायाब वस्तुओं को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। परन्तु दक्षकारों से बात करने पर उन्होने अवगत कराया कि जिनके पास बी पी एल कार्ड हैं, उन्हें मेले, प्रदर्शनी आदि में अधिक अवसर प्रदान किये गये।

5. तैयार माल को बेचने के लिए केवल मात्र एक संस्था ही अधिकृत है। अतः दक्षकार निर्धारित कीमत पर ही सामान निर्धारित निजी संस्थान को बेचने पर बाध्य है। जबकि योजना में एक बार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की पहचान बनने के बाद दक्षकार सीधे ही बाजार में अपना उत्पाद/चैम्पियन को बेचें ताकि सही मूल्य प्राप्त हो सके।

अतः सुझाव है कि तैयार माल को बेचने हेतु केन्द्र खोले जावें एवं राज्य स्तर पर उचित मूल्य पर माल खरीदने की व्यवस्था की जावे।

6. दक्षकारों के स्वास्थ्य जाँच की कोई व्यवस्था ग्राम स्तर पर नहीं है। अतः ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावें।

7. कार्यक्रम हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि में किसी भी स्तर पर किसी को कोई रूचि नहीं है।

अतः कार्यक्रम हेतु निर्धारित भूमि आवंटन शीघ्र करवाये जाने की व्यवस्था की जावे।

बकरी/भैंस पालन

1. इकाई अन्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित सभी लाभार्थियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताया है किन्तु योजना में सामूहिक गतिविधि नहीं होने से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता।

अतः सुझाव है कि योजना में सामूहिक गतिविधि को अपनाया जावे ताकि नियमित आय हो सकें एवं स्थायी रोजगार प्राप्त हों।

2. व्यवसाय हेतु हिस्सा राशि अधिक है अतः हिस्सा राशि को कम किया जावे।

3. सहायता बीच में रोक दी गई जिससे गतिविधि संचालन पर प्रभाव पड़ा।

अतः सुझाव है कि सहायता राशि एकमुश्त एवं समय पर उपलब्ध करवायी जावे।

4. इकाई हेतु सहायता एक बार ही दी गई। अतः इकाई हेतु पुनः सहायता मिलनी चाहिये।

सर्वेक्षण के दौरान पाया कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों द्वारा संचालित गतिविधियों से ग्रामीण (RBH) प्रभावशाली नहीं हो पाये हैं। इस संदर्भ में क्रियान्वयन विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा भी सहमति जताते हुए टिप्पणी अंकित की गयी है कि उक्त योजना का राज्य में आशातीत लाभ प्रत्यक्षतः लाभार्थियों को प्राप्त नहीं होना प्रतीत होता है। गैर सरकारी संस्थाएँ ही कुछ हद तक लाभान्वित हो पायी हैं। RBH को SGSY जैसी योजना से जोड़कर वित्तीय सहायता भी दी जावे तो कार्यक्रम सक्रिय रूप से विकसित हो सकेगा। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर इनके समक्ष कच्चे माल, उच्च तकनीक की माल पकाने की मशीनें/भट्टी, विक्रय हेतु लुभावने पैकेजिंग की व्यवस्था, परिवहन आदि पक्षों को प्रन्नोत किया जाकर दक्षकारों का पलायन रोका जा सके तथा इनकी स्थिति में सुधार लाया जाकर ग्रामीण परिवेश को सशक्त बनाया जा सके ताकि वैश्विक मंदी जैसी समस्याओं का सामना किया जा सके।

XIV **सारांश** :

योजनान्तर्गत दक्षकारों को प्रशिक्षण दिया जाना पाया गया है लेकिन प्रशिक्षण का स्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। प्रशिक्षण के बाद दक्षकारों को कच्चा माल, विपणन एवं समूह रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित नहीं किया गया। MOU की क्रियान्विति में पार्टनर्स के आपसी समन्वयन के अभाव में गति नहीं पकड़ पायी। कारपेट (धौलपुर), फ्लोरीकल्चर, अजमेर, शालपट्टू (जैसलमेर) में तो MOU की क्रियान्विति ही नहीं हो पायी शेष MOU में भी सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ है। दिसम्बर 2007 के बाद DPIP समाप्त हो गया तथा कार्य उद्योग विभाग को सितम्बर 09 में सौंपा गया। उद्योग विभाग स्तर से आदिनांक तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार RBH सिद्धान्त रूप से तो व्यावहारिक योजना थी लेकिन कार्यरूप में प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी। इस संबंध में कार्यकारी विभाग द्वारा प्रतिवेदन टिप्पण में अवगत कराया गया कि इसका कारण राज्य में अन्य ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना हेतु औद्योगिक समूह साझेदार का उपलब्ध नहीं होना रहा है एवं योजना का प्रभावी क्रियान्वयन CII जयपुर चेप्टर के स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन व समीक्षा पर निर्भर है। ग्रामीण दक्षकारों को आय बाबत् सर्वेक्षण के समय वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन दक्षकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से भी आभास नहीं हुआ कि RBH से कोई आर्थिक स्तर में आशान्वित परिवर्तन हुआ हो। ग्रामीण पंचायत व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी बिजनिस मॉडल के अनुसार केन्द्रों की स्थापना का अपेक्षित लाभ औद्योगिक समूह साझेदार द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर था जो कि अपेक्षित स्तर का प्राप्त नहीं हुआ है।

———

अध्याय–प्रथम

अध्ययन परिचय

1.0 परिचयात्मकः

1.1.1 भारत गांवों का देश है 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण दक्षकार आज भी स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा के युग में दक्षकार के उत्पाद स्थानीय बाजार आधुनिक परिवेश में प्रशिक्षण, सस्ता कच्चा माल, ज्ञानवर्धन आदि के अभाव में अनार्थिक होते जा रहे हैं, जिससे दक्षकारों विशेषतः नवयुवकों में बेरोजगारी, पलायनता का रूख देखने में आ रहा है

1.1.2 ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिये राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। आर्थिक विकास के स्त्रोतों की क्रियान्विति एवं पंचायतों की जिम्मेदारी को विकसित करने के उद्धेश्य से मान्नीय प्रधानमन्त्री ने पंचायतों द्वारा विकासशील ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की विचारधारा को अमल में लाने की घोषणा की। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी आई आई (Confederation of Indian Industry) ने ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों को प्रारम्भ करने के विचार को क्रियान्वित करने के लिए 5 नवम्बर 2004 का एक राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स का आयोजन किया गया जिसमें 1000 चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं देश के 250 प्रमुख व्यवसायों एवं उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1.1.3 तत्पश्चात 25 जून, 2005 को पंचायती राज मंत्रालय एवं सी.आई.आई. देश के विभिन्न ब्लॉक में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र बनाये जाने के संबधं में बैठक बुलाई एवं इस बैठक में ग्रामीण सेक्टर में काम करने वाले विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। इस बैठक में पंचायत मंत्रालय एवं सी आई आई ने पंचायत उद्योग एवं व्यवसाय के बीच समन्वय बढ़ाने के उद्धेश्य से एक साथ काम करने का निश्चय किया एवं यह तय किया गया कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र सार्वजनिक/निजी पंचायत पार्टनरशिप के रूप में स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के विकास एवं वस्तुओं का उत्पादन कर उसे Larger Market Access के योग्य बनाया जायेगा।

1.1.4 ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र का उद्धेश्य समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी दक्षकारी का उपयोग वस्तुओं को बनाने में करना एवं इसके लिए सरकार एवं निजी सैक्टर उत्पादों को विकसित करने, बाजार को विस्तृत रूप देने, रोजगार सृजन (Job Create) करने एवं आय एवं समुदाय को मजबूत बनाने में सहयोग करना है।

1.1.5 इन प्रोजेक्टों का उद्धेश्य पंचायतों के प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना एवं इनके द्वारा तैयार उत्पाद स्थानीय संस्कृति एवं स्थानीय दक्षकार की बुद्धिमत्ता को दर्शाना एवं फ्री टाईम में अतिरिक्त आय प्राप्त करना है। अतः यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के स्थानीय दक्षकारों द्वारा तैयार उत्पाद उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। इन उत्पादों को बेचने से होने वाले लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे देश के ग्रामीणों के लिए जाता है। इस प्रकार ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक हैं एवं भारत के गुणवत्ता वाले उत्पाद विश्व में Introduce किये गये।

1.1.6 ग्रामीण युवकों में ग्रामीण दक्षकार संवंर्धन एवं शहरों में पलायन को रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसी उद्धेश्य की कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्र योजना आरम्भ की गई है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को बेहतर प्रयोग कर बनाये गये उत्पादों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास योग्य बनाने एवं स्थानीय स्तर पर कृषकों, ग्रामीण एवं कारीगरों आदि को समृद्ध बनाने एवं रोजगार के अवसर उपलघ करवाने के उद्धेश्य से ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना की गई।

1.1.7 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा माह जुलाई, 2008 तक ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने के क्रम में ग्रामीण स्तर पर प्रमुख उत्पादों एवं व्यवसायों के विकास एवं संवर्धन कर ग्रामीणों, कृषकों एवं कारीगरों को समूह बनाने के लिए निम्नानुसार संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।

1. जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी पी आई पी) : कारपेट उद्योग

2. डी पी आई पी : स्टोन उद्योग

3. उद्यान विभाग : फ्लोरी कल्चर

4. ग्रामीण अकृषि विकास एजेन्सी (रूड़ा) : ब्ल्यू पोटरी/आंवला परिशोधन

5. जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) : बांधनी

6. उद्योग विभाग : जैसलमेरी शाल/पट्टू

1.1.8 उक्त संस्थाओं द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है :–

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना,

2. दक्षकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की विपणन व्यवस्था करना

3. उचित मूल्य हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कराया जाना।

4 हस्तकला एवं स्थानीय दक्षता का संवर्धन एवं विकास करना।

1.1.9 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न नोडल एजेन्सियों के तत्वावधान में निम्न प्रोजेक्ट हेतु पार्टनर्स के माध्यम से एम.ओ.यू. जारी किया गया।

1. **डी पी आई पी : कारपेट उद्योग**
बाड़ी धौलपुर ब्ला्क (धौलपुर) के कारपेट उद्योग के लिये (1) जयपुर कारपेट्स (2) ई.आर.डी.एस. भरतपुर पार्टनर्स है। इसके लिये एम.ओ.यू. दिनांक 10.6.06 को हस्ताक्षारित हुआ

2. **डी पी आई पी : कारपेट उद्योग**
सभी जिला/ब्लॉक में कारपेट उद्योग के विकास संवर्द्धन के लिए नोडल एजेन्सी डी.पी.आई.पी है। जयपुर एवं चुरू जिले के लिये पार्टनर्स (1) जयपुर रग्स कम्पनी प्रा.लि. (2) भारत ज्ञान विज्ञान समिति धौलपुर एवं (3) डी.पी.आई.पी. को बनाया गया है इसके लिये एम.ओ.यू. दिनांक 22.7.06 को हस्ताक्षारित हुआ।

2. **डी पी आई पी : कारपेट उद्योग**
बासेडी (धौलपुर) ब्लॉक/ जिले के लिये (1) जयपुर रग्स कम्पनी प्रा.लि. (2) सोसाइटी फो्र सोशल सर्विसेज राजस्थान को बनाया गया है। इसके लिये एम.ओ.यू. दिनांक 5.8.06 को हस्ताक्षारित हुआ।

4. **डी पी आई पी : स्टोन उद्योग**
इस उद्योग की नोडल एजेन्सी डी.पी.आई.पी है। सिकराय (दौसा) ब्लॉक/जिले के लिये केमटैक एसोसियेशन प्रा.लि., जयपुर जिला विकास परिषद एवं सहायक परियोजना निदेशक डी.पी.आई.पी पार्टनर्स है। एम.ओ.यू. दिनांक 20.10.06 को हस्ताक्षारित हुआ।

5. **उद्यान विभाग : फ्लोरी कल्चर**

इस उद्योग की नोडल एजेन्सी उद्यान विभाग है। ब्लाक/ जिला पीसांगन (अजमेर) है एवं पार्टनर्स नीलकमल बायोफ्यूल टेक्नोलोजी प्रा.लि., जिला परिषद अजमेर एवं सहायक निदेशक उद्योग है। एम.ओ.यू. दिनांक 12.9.07 को हस्ताक्षारित हुआ।

6. **रूड़ा : ब्ल्यू पोटरी/आंवला परिशोधन**

इस उद्योग की नोडल एजेन्सी रूड़ा है। ब्लाक जिला दूदू (जयपुर) एवं पार्टनर्स रूड़ा। मैसर्स नीरजा इन्टरनेशनल। एम.ओ.यू. दिनांक 26.6.04 को हस्ताक्षारित हुआ।

7. **डी.पी.आई.पी. : बांधनी**

इस उद्योग की नोडल एजेन्सी डी.पी.आई.पी. है। ब्लाक/ जिला सुजानगढ (चुरू) एवं पार्टनर्स डी.पी.आई.पी.,एस.डी.एन टेक्सटाईल सुजानगढ़, मरू शक्ति संस्थान डी.पी.एम.यू.ए., डी.पी.आई.पी चूरू एवं पंचायत समिति सुजानगढ़ है। एम.ओ.यू. दिनांक 31.10.06 को हस्ताक्षारित हुआ।

8. **उद्योग विभाग : जैसलमेरी शाल/पटटू**

इस उद्योग हेतु उद्योग विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है । ब्लाक/ जिला ग्राम काठोड़ी तहसील जैसलमेर एवं पार्टनर्स समृद्धि फाउन्डेशन संस्थान जोधपुर, ग्राम पंचायत काठोड़ी, जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर एवं मैसर्स रंगोत्री हैन्डीक्राफ्ट्स मैन्यूफेक्चर्स, जयपुर है। एम.ओ.यू. दिनांक 17.12.07 को हस्ताक्षरित हुआ।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता:

1.2.1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर शासन सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के लाभों का अध्ययन निदेशालय मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया।

1.3 अध्ययन के उद्धेश्य:

1.3.1 यह अध्ययन निम्न उद्धेश्यों के आधार पर किया गया–

1. ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों द्वारा लक्षित दक्षकारों को प्रसारित लाभों यथा :–

i. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

ii. अनुदान वितरण

iii. कच्चे माल की उपलब्धता

iv. विपणन गतिविधियों का अध्ययन करना।

2. ग्रामीण दक्षकारों को उपलब्ध करवायी गयी सुविधाओं से रोजगार दिवसों एवं आय वृद्धि का आंकलन करना,

3. विभाग द्वारा एन.जी.ओ. को उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि के उपयोग का आंकलन,

4. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की पूर्ण जानकारी एवं संचालन में अनुभूत कठिनाइयों एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव

1.4 **अध्ययन न्यादर्शः**

1.4.1 विभाग द्वारा चयनित सभी एन.जी.ओ./सरकारी विभाग (संस्थाऐं) को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा गया प्रथम श्रेणी में वे संस्थाऐं आती है जो एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों का आधार मानकर कार्य आरम्भ कर दक्षकारों को लाभान्वित कर रही है। जैसे 1. कारपेट उद्योग, जयपुर रग्स कम्पनी प्रा.लि., 2. ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग, दूदू, जयपुर एवं 3. बांधनी उद्योग, सुजानगढ़, चुरू

1.4.2 द्वितीय श्रेणी में वे संस्थाएँ आती है जिन्होने एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों के आधार पर निश्चित व्यवसाय नहीं प्रारम्भ कर अन्य व्यवसाय में कार्य कर रही है। जैसे गलीचा निर्माण उद्योग बाड़ी/बसेड़ी/घौलपुर के लिये अनुबन्ध गैर सरकारी संस्था एवं जयपुर कारपेट के मध्य हुआ था किन्तु समूहों द्वारा अन्य गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन इत्यादि ले ली गई।

1.4.3 तृतीय श्रेणी में वे संस्थाएँ आती है जिन्होने अभी तक आपसी सहमति पत्र के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया है एवं विभाग को कोई सूचना नहीं भिजवाई है। 1. फ्लोरी कलचर ब्लॉक पीसांगन (अजमेर) के लिये नीलकमल बायोफ्यूल टेकनोलॉजी प्रा.लि. 2. बांधनी उद्योग (सुजानगढ़ चुरू ब्लाक) के लिये एस.डी.एन. टेक्सटाइल सुजानगढ, 3. जैसलमेरी शाल पटटू (काठोड़ी/जैसलमेर ब्लाक) के लिये समृद्धि फाउन्डेशन संस्थान जोधपुर एवं स्टोन उद्योग के लिए सिकराय, दौसा आदि।

1.4.5 प्रथम स्तर पर उपरोक्त तीनों चरणों को आधार मानते हुए अधिकतम दो केन्द्रों को चयनित मानकर अध्ययन किया गया।

1.4.6 द्वितीय स्तर के प्रथम चरण में कार्य प्रारम्भ करने वाली चयनित कार्यरत संस्थाओं से पूर्णरूपेण एवं आंशिक रूप से लाभप्राप्तकर्ताओं की सूची प्राप्त की जायेगी एवं रेण्डम आधार पर पूर्णरूपेण एवं आंशिक रूप से लाभान्वित 10–10 (5–5 महिला एवं पुरूष) लाभार्थियों का चयन कर लाभार्थी अनुसूची भरी गयी किन्तु बांधनी उद्योग (सुजानगढ़ चुरू) में इकाई कार्यरत नहीं होने तथा कारपेट उद्योग (धौलपुर) में निर्धारित इकाई के स्थान पर भैंस/बकरी पालन इकाई कार्यरत होने तथा उक्त इकाई के भी बन्द पाये जाने के कारण लाभार्थी अनुसूचियाँ नहीं भरी जा सकी।

द्वितीय चरण में जिन एजेन्सियों ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, उनके व्यवसाय की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु 10 (5–5 महिला एवं पुरूष) स्थानीय दक्षकारों का चयन किया गया।

1.5 अध्ययन उपकरण :

1.5.1 अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गयी :–

1. **प्रलेख अनुसूचीः**

इस अनुसूची में संस्था को विभाग के द्वारा प्राप्त राशि एवं व्यय राशि तथा अन्य सूचनाऐं भरी गयी। यह अनुसूची राज्य स्तर पर कार्यकारी विभाग एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नोडल एजेन्सी से एवं मुख्यालय स्तर पर संस्थान के प्रभारी से भरी गयी।

2. **लाभार्थी/दक्षकार अनुसूचीः**

(i) यह अनुसूची दक्षकारों से भरी जायेगी। चयनित व्यवसायवार 10(5–5 महिला एवं पुरूष) लाभार्थियों का मौके पर उपलब्धता के आधार पर चयन कर भरी गयी।

(ii) जिन एजेन्सियों ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है, वहाँ के स्थानीय 10 (5–5 महिला एवं पुरूष) दक्षकारों से व्यवसाय की उपयोगिता एवं आवश्यकता बाबत्। अनुसूचियाँ भरी गयी।

1.6 संन्दर्भ अवधि

1.6.1 प्रलेख सूचना वर्ष 2006–07 से वर्ष 2008–09 तक की ली गयी एवं अन्य सूचनाएं सर्वेक्षण दिनांक तक ली गयी।

———

अध्याय–द्वितीय

प्रोजेक्ट प्रगति

2.0 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण दक्षकार संवर्धन, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्धेश्य से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने के क्रम में ग्रामीण स्तर पर प्रमुख उत्पादों एवं व्यवसायों के विकास हेतु ग्रामीण कारीगरों को संगठित करने के लिए प्रमुख संस्थाओं यथा कारपेट, स्टोन, बांधनी उद्योगों के लिए डी.पी.आई.पी., ब्ल्यू पोटरी/आंवला परियोजना के लिए रूडा, फ्लोरीकल्चर के लिए उद्यान विभाग एवं जैसलमेरी शॉल/पट्टू के लिए उद्योग विभाग को नोडल विभाग मानते हुए एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया। इन संस्थाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, दक्षकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की विपणन व्यवस्था करना, उचित मूल्य हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेले आयोजित करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रोडक्ट्स के उन्नयन हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रोडक्ट्स	ब्लॉक/जिला	नोडल/एजेन्सी विभाग	M.O.U. हस्ताक्षरित करने का दिनांक	पार्टनर्स
1	2	3	4	5	6
1	कारपेट	रतनगढ़ (चुरू)	डी.पी.आई.पी.	22.07.06	जयपुर रग्स कम्पनी प्रा. लि., भारत ज्ञान विज्ञान समिति धौलपुर, डी.पी.आई.पी.
2	कारपेट	बसेडी (धौलपुर)	डी.पी.आई.पी.	5.08.06	1. जयपुर रग्स प्रा.लि. 2. सोसायटी फॉर सोश्यल सर्विसेज, राजस्थान
3	कारपेट	बाडी/धौलपुर ब्लॉक, धौलपुर	डी.पी.आई.पी.	14.06.06	1. जयपुर कारपेट्स 2. ई.आर.डी.एस. भरतपुर
4	स्टोन	सिकराय (दौसा)	डी.पी.आई.पी.	26.10.06	कामटेक एसोसिएट प्रा.लि. जयपुर जिला विकास परिषद सहायक परियोजना निदेशक डी.पी.आई.पी.

.....निरन्तर

क्र. सं.	प्रोडक्ट्स	ब्लॉक / जिला	नोडल / एजेन्सी विभाग	M.O.U. हस्ताक्षरित करने का दिनांक	पार्टनर्स
1	2	3	4	5	6
5	फ्लोरीकल्चर	पीसांगन (अजमेर)	उद्यान विभाग	12.09.07	1. नीलकमल बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी प्रा.लि. 2. जिला परिषद, अजमेर 3. सहायक निदेशक, उद्यान विभाग
6	ब्ल्यू पॉटरी / आंवला	दूदू, जयपुर	रूडा	26.06.04	1. रूडा 2. मैसर्स नीरजा इन्टरनेशनल 3. पंचायत समिति, दूदू
7	बांधनी	सुजानगढ़, चुरू	डी.पी.आई.पी.	31.10.06	1. डी.पी.आई.पी. 2. एस.डी.एन. टेक्सटाईल, सुजानगढ़ 3. मरू शक्ति संस्थान 4. DPM, DPMU, DPIP चुरू 5. पंचायत समिति, सुजानगढ़
8	जैसलमेरी शॉल / पट्टू	ग्राम कठौडी तहसील जैसलमेर	उद्योग विभाग	17.12.07 भारत सरकार को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषित	1. समृद्धि फाउण्डेशन संस्थान जोधपुर 2. ग्राम पंचायत, काठौडी 3. जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर 4. जिला परिषद, जैसलमेर 5. मैसर्स रंगोगी हैंडीक्रॉफ्ट्स मेन्यूफैक्चर्स, जयपुर

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के विकास के लिए उक्त एम.ओ.यू. के लिए नोडल / एजेन्सी विभागों द्वारा विभिन्न चरणों में कार्य सम्पादित किया जाने के लिए जिले में जिला कलक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं चयनित विभाग जैसे कृषि, उद्यान एवं ग्रामीण विकास के विभागाध्यक्ष द्वारा चयनित जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाने एवं जिनमें नाबार्ड KVIC एक्सिस बैंक एवं लीड़ बैंक एवं अन्य भागीदारी संस्थाओं द्वारा भाग लेने की कार्ययोजना थी। इसके तहत मुख्य रूप से निम्न प्रकार के कार्य चिन्हित किये गये:–

1. प्रथम चरण में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की अवधारणा को समझाना, अन्य योजनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करना।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर चैम्पियन उत्पाद को सूची में रखना।

3. वित्तीय संसाधन जुटाना, कार्य योजना सुनिश्चित करना एवं निश्चित समय में उत्पाद को उपलब्ध कराना।

4. कार्यकारी समूह एवं नोडल अधिकारी नियुक्त करना।

5. जिला पंचायत की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति बनाना एवं समसामयिक समीक्षा करना एवं आवश्यक सुधार करना।

6. व्यावसायिक योजना की आउटलाइन तैयार करना

7. एम.ओ.यू. को लागू करने के लिए दायित्व एवं भूमिका की जानकारी करना।

8. विस्तृत व्यावसायिक योजना विकसित करना।

9. योजनाओं एवं संस्थाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

10. वित्तीय संसाधन की जानकारी देना।

11. प्रशिक्षण एवं दक्षता बढ़ाना, आधारभूत संरचना को विकसित करना।

12. बाजार से जोड़ना।

13. सतत् उत्पादन करना एवं गुणवत्ता को बढ़ाना।

उक्त कार्ययोजना की क्रियान्विति हेतु विभाग आशान्वित था कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर बनाये गये उत्पादों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय योग्य बनाने एवं स्थानीय स्तर पर कृषकों, ग्रामीण एवं कारीगरों आदि को समृद्ध बनाने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अनुसार नोडल/एजेन्सी विभागों, पार्टनर्स द्वारा अर्जित प्रगति का विवरण अग्रानुसार प्रदर्शित हैंः–

क्र. सं.	जिला / ब्लॉक	प्रोडक्ट्स	योजनान्तर्गत अर्जित प्रगति विवरण	
			दिनांक 10.07.08 तक	दिनांक 30.06.09 तक
1 (अ)	चुरू (सुजानगढ़)	बांधनी (बून्दी बन्धेज)	आपसी सहमति पत्र की अवधि 30.06.07 को समाप्त हो चुकी है इसके अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण ही दिया गया है। इस प्रशिक्षण से 4 ग्रामीण एवं 173 शहरी महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। यह महिलाएँ प्रशिक्षण के पश्चात् 1000 रूपये प्रति माह कमा रही हैं।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी** 17 समान रूचि समूहों को 03 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया। समूह के सदस्य स्थानीय बाजार में कार्य प्राप्त कर आय अर्जित कर रहे हैं।
(ब)	चुरू (रतनगढ़)	गलीचा निर्माण	इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में बीपीएल परिवार की 300 महिलाओं को कालीन बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम 45 ग्रामों 30 सीआईजी की सहायता से प्रारम्भ किया गया।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी** 23 समूह को जयपुर रग्स के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं जयपुर रग्स के द्वारा जॉबवेस पर इन समूह सदस्यों से कार्य करवाया गया।
2	दौसा (सिकराय)	स्टोन	एमओयू के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना विभाग को अप्राप्त हैं।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी** 13 समूहों का प्रशिक्षण किया गया। वर्तमान में ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं।
3 (अ)	धौलपुर (बाड़ी)	गलीचा निर्माण	आपसी सहमति पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी** अनुबन्ध गैर सरकारी संस्था एवं जयपुर कारपेट के मध्य हुआ था किन्तु समूहों द्वारा गतिविधि गलीचा निर्माण के स्थान पर अन्य गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन इत्यादि लेने के कारण एम.ओ.यू. पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
(ब)	धौलपुर (बसेड़ी)	गलीचा निर्माण	आपसी सहमति पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गयी।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी** अनुबन्ध गैर सरकारी संस्था एवं जयपुर कारपेट के मध्य हुआ था किन्तु समूहों द्वारा गतिविधि गलीचा निर्माण के स्थान पर अन्य गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन इत्यादि लेने के कारण एम.ओ.यू. पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

क्र. सं.	जिला / ब्लॉक	प्रोडक्ट्स	योजनान्तर्गत अर्जित प्रगति विवरण	
			दिनांक 10.07.08 तक	दिनांक 30.06.09 तक
4	झालावाड	1. अगरबत्ती उद्योग	सूचना अप्राप्त है।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी आरएसवीवाई** 343 महिलाएँ, जो पंजीकृत सदस्य हैं। इनके द्वारा औसतन 3 किलो प्रति सदस्य प्रतिदिन अगरबत्ती उत्पादन किया जा रहा है। जिसकी 16 रूपये प्रति किलो मजदूरी दी जा रही है।
		2. कपड़ा बुनाई	सूचना अप्राप्त है।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी एसएचजी** 60 समूहों का गठन किया गया। जिसके द्वारा 1 लाख मीटर कपड़ा प्रतिमाह तैयार किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 65 रूपये टर्नओवर किया गया।
		कपड़ा (बुनाई, कताई)	सूचना अप्राप्त है।	**नोडल / एजेन्सी–डीपीआईपी एसएचजी** कताई के 1182 तथा बुनाई के 894 सदस्य बनाये गये। कताई का 11820 किलोग्राम तथा बुनाई 10728 थान प्रतिमाह उत्पादन हो रहा है। जिनकी दर क्रमशः 98.15 रूपये प्रति किलो तथा 166.95 रूपये प्रति थान है।
5.	अजमेर (पीसांगन)	फ्लोरी कलचर	एमओयू के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना विभाग को अप्राप्त है।	**नोडल / एजेन्सी – उद्यान विभाग** के अनुसार क्षेत्र में फर्म द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
6.	जयपुर (दूदू)	ब्ल्यू पोटरी / आंवला	200 व्यक्ति लाभान्वित हुए जिनमें से 100 ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।	**नोडल / एजेन्सी – रूडा** के अनुसार रूडा द्वारा 3 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर 60 दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक डिजाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। रूडा द्वारा उत्पादों के विक्रय हेतु चण्डीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर तथा जयपुर में समय–समय पर 12 मेलों का भी आयोजन किया गया।
7.	जैसलमेर (ग्राम काठोड़ी)	शॉल / पट्टू	आपसी सहमति पत्र के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है।	**नोडल / एजेन्सी – उद्योग विभाग** कोई कार्य नहीं हुआ।

उपरोक्त तालिका में दिनांक 10.07.08 की प्रगति तथा 30.06.09 की प्रगति का उल्लेख विभागीय सूचना के आधार पर किया गया है। जिलेवार चयनित प्रोडक्ट्स की तुलनात्मक प्रगति का विवरण निम्नानुसार अंकित किया गया है।

1.(अ) **चुरू (सुजानगढ़)/बून्दी बन्धेज** :

चुरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समितियों बून्दी बंधेज के संवर्द्धन के लिए DPIP, एच.डी.एन. टेक्सटाईल, सुजानगढ़, मरू शक्ति संस्थान, सुजानगढ़, पंचायत समिति, सुजानगढ़ के मध्य 31.10.06 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये, जिसकी नोडल विभाग–डी पी आई पी को रखा गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुलाई,2008 तक की प्रगति के अनुसार एमओयू की अवधि दिनांक 30.06.07 को समाप्त हो गयी थी तथा अब तक इसके अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण ही दिया गया। जिससे 4 ग्रामीण एवं 173 शहरी महिलाएँ लाभान्वित की गयी। यह महिलाएँ प्रशिक्षण उपरान्त 1000/– प्रति माह तक कमा रही है तथा 17 सीआईजी के लिए रूपये 22500/– के हिसाब से (कुल 382500/–) प्रत्येक सीआईजी के विकास के लिए उपलब्ध करायी गयी। इस राशि मे से रूपये 7500/– प्रति माह प्रति शिविर सीआईजी प्रशिक्षण के लिए व्यय किये गये।

(ब) **चुरू (रतनगढ़) (गलीचा निर्माण)** :

चुरू जिले की पंचायत समिति, रतनगढ़ में गलीचा निर्माण हेतु जयपुर रग्स लि., रतनगढ़, उरूमल ट्रस्ट चुरू, पंचायत समिति, रतनगढ़ एवं डी पी आई के मध्य 22.07.2006 को एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया। जिसका नोडल विभाग भी डी पी आई पी को बनाया गया। इस केन्द्र में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई,2008 तक कार्यक्रम के प्रथम चरण में बीपीएल परिवार की 300 महिलाओं को कालीन बुनाई हेतु प्रशिक्षण दिया गया तथा यह कार्यक्रम 45 ग्रामों में 30 सीआईजी की सहायता से चलाया जा रहा था जबकि डीपीआईपी से प्राप्त जून, 2009 तक की प्रगति अनुसार जयपुर रग्स द्वारा 23 समूहों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं जयपुर रग्स के द्वारा जॉब बेस के आधार पर इन समूह सदस्यों से कार्य करवाया जा रहा है।

(2) **दौसा (सिकराय) (स्टोन)**:

दौसा जिले की सिकराय पंचायत समिति में स्टोन संबंधी गतिविधि के संवर्द्धन के लिए डी पी आई पी को नोडल एजेन्सी निर्धारित करते हुये कामटेक एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड़, जयपुर, जयपुर जिला विकास परिषद, डी.पी.एम., डी.पी.आई.पी., दौसा, विकास अधिकारी, सिकराय के मध्य 26.10.06 को एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया। इस केन्द्र के संचालन के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जुलाई 2008 तक की प्रगति की सूचना अप्राप्त दर्शायी गयी है जबकि डी पी आई पी दौसा द्वारा 13 समूहों को प्रशिक्षण दिया जाना अवगत कराया गया है। वर्तमान में ये सभी प्रशिक्षित समूह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

(3) (अ) **धौलपुर (बाडी/धौलपुर) (गलीचा निर्माण)** :

धौलपुर जिले की बाडी पंचायत समिति में कारपेट निर्माण के विकास हेतु गैर सरकारी संस्था इंडियन रूरल डवलपमेन्ट सोसायटी एवं जयपुर कारपेट के मध्य 14.06.2006 को डी पी आई पी की मध्यस्थता में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया परन्तु ग्रामीण विकास तथा डी.पी.आई.पी. से प्राप्त प्रगति के अनुसार समूहों द्वारा निर्धारित गतिविधि गलीचा निर्माण के स्थान पर अन्य गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन इत्यादि लेने के कारण एम.ओ.यू. अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया।

(ब) **धौलपुर (बसेड़ी) (गलीचा निर्माण)**

इसी प्रकार धौलपुर जिले की बसेडी पंचायत समिति में भी गलीचा निर्माण के विकास हेतु सोसायटी फॉर सोश्यल सर्विसेज राजस्थान एवं जयपुर रग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 08.05.06 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। तथा डी.पी.आई.पी को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया किन्तु ग्रामीण विकास विभाग तथा डी.पी.आई.पी से प्राप्त प्रगति अनुसार आपसी सहमति पत्र अन्तर्गत निर्धारित कार्य के स्थान पर अन्य गतिविधियों का संचालन कर दिया गया।

(4) **अजमेर (पीसांगन) (फ्लोरीकल्चर)**

फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से अजमेर जिले की पीसांगन पंचायत समिति में नीलकमल बायो फ्यूल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिला परिषद अजमेर तथा सहायक निदेशक, उद्यान के मध्य दिनांक 12.9.07 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ जिसमे उद्यान विभाग को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया। ग्रामीण विकास से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति के अनुसार नीलकमल बायो फ्यूल प्रा.लि. द्वारा आपसी सहमति पत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना विभाग को प्रेषित नहीं किया जाना अवगत कराया गया है। जिससे पक्षकारों में आपसी समन्वय का अभाव परिलक्षित होता है।

(5) **जयपुर (दूदू) (ब्ल्यू पॉटरी)**

जयपुर शहर की पहचान बन चुके ब्ल्यू पॉटरी कला को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से रूडा, नीरजा इन्टरनेशनल तथा पंचायत समिति दूदू के मध्य 26.6.04 को एम.ओ.यू हस्ताक्षरित हुआ जिसमें रूडा को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति के अनुसार 200 व्यक्ति लाभान्वित किये गये जिनमें से 100 ग्रामीण कामगारों को रोजगार उपलबध करवाया गया तथा रूडा से प्राप्त प्रगति अनुसार 3 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर 60 दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक डिजाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। रूडा द्वारा उत्पादों के विक्रय हेतु चण्डीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर तथा जयपुर में समय–समय पर 12 मेलों का भी आयोजन किया गया।

(6) जैसलमेर (ग्राम काठोड़ी) (जैसलमेरी शॉल/पट्टू)

जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध शॉल/पट्टू के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये समृद्धि फाउन्डेशन संस्थान जोधपुर ग्राम पंचात काठोड़ी, जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर तथा मैसर्स रंगोत्री हैण्डीक्राफ्टस मैन्यूफैकचर्स जयपुर के मध्य दिनांक 17.12.07 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षारित हुआ जिसमें उद्योग विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जुलाई 2008 तक की प्रगति अनुसार आदिनांक तक आपसी सहमति पत्र के अन्तगर्त कोई कार्य नहीं किया गया था। अर्थात प्रगति शून्य रही।

(7) झालावाड़/पाटन अगरबत्ती उद्योग/कपडा (कताई,बुनाई) :

झालावाड़ जिले की पाटन पंचायत समिति में वर्ष 2005 में तीन एम.ओ.यू. विभिन्न गतिविधियों के लिए भिन्न–भिन्न पार्टनर्स के साथ डी.पी.आई.पी. एवं आर.एस. वी.वाई. के मध्य हस्ताक्षरित किये गये। डी.पी.आई.पी. द्वारा उपलब्ध 30.06.09 तक प्रगति की सूचना के आधार पर अगरबत्ती उद्योग में 343 महिलाएँ पंजीकृत सदस्य हैं। इनके द्वारा औसतन 3 किलो प्रति सदस्य अगरबत्ती उत्पादन किया जाता है। जिसकी उन्हें 16 रूपये प्रति किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाती है।

कपड़ा बुनाई में पाटन पंचायत समिति में शिव हाथकरघा समिति असनवार द्वारा 60 समूहों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा लगभग 1 लाख मीटर कपड़ा प्रतिमाह तैयार किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 65 लाख रूपये टर्नओवर किया गया।

डी.पी.आई.पी. एवं पार्टनर विनोबा सेवा समिति, झालावाड़ द्वारा वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित किया गया। पंचायत समिति बकानी, खानपुर, पाटन, इकलेरा में 1182 सदस्य कताई के तथा 894 सदस्य बुनाई के बनाये गये। कताई का 11820 किलोग्राम तथा बुनाई का 1078 थान प्रतिमाह उत्पादन हो रहा है, जिनकी दर क्रमशः 98.15 रूपये प्रति किलो तथा 166.95 रूपये प्रति थान है।

ग्रामीण विभाग के निर्देशानुसार एम.ओ.यू. में हस्ताक्षरित गतिविधियों से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्ण जानकारी लिया जाना ही महत्वपूर्ण बिन्दु था। मौके पर कार्यरत दक्षकार से वार्ता कर, योजना के अन्तर्गत गतिविधि में सहयोग प्रदान कराने वाली संस्थाओं का सहयोग लेकर मौके की स्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया जाना था परन्तु दक्षकारों से वार्ता करने पर जो तथ्य सामने आये वे ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के उद्धेश्यों को पूरा करने में असफल रहे। आज भी ग्रामीण दक्षकार, कृषक एवं कारीगर मजदूरी के रूप में अन्य संस्था पर आश्रित हैं।

————

अध्याय–तृतीय

सर्वेक्षण परिणाम

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण दस्तकारों के कौशल सवर्द्धन, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर स्थानीय उत्पादों एवं व्यवसायों के विकास हेतु ग्रामीण विकास केन्द्रों की स्थापना की गयी। प्रमुख व्यवसाय जैसे गलीचा निर्माण, स्टोन, फ्लोरीकलचर, ब्ल्यू पोटरी, बांधनी/बून्दी बन्धेज, जैसलमेरी शॉल/पट्टू के लिए नोडल विभाग डीपीआईपी, उद्यान, रूडा एवं उद्योग विभाग के साथ एमओयू निष्पादित किये गये। उक्त 8 इकाईयों मे से 3 इकाईयों का जिसमें 1. ब्ल्यू पोटरी/आंवला परिशोधन, 2. गलीचा निर्माण, 3. बांधनी/बून्दी बंधेज उद्योग का चयन किया गया।

चयनित तीनों इकाईयों से प्रलेख सूचना जिला नोडल/एजेन्सी, पंचायत समिति एवं गैर राजकीय संस्थान से ली गई एवं मौके पर उपलब्ध लाभार्थियों से विचार विमर्श कर अनुसूचियाँ भरी गयी है। ब्ल्यू पोटरी के क्षेत्रीय कार्य के दौरान जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति में कोटजेवर ग्राम में 10 लाभार्थियों से साक्षात्कार किया गया। धौलपुर जिले में बाड़ी/बसेड़ी पंचायत समिति में 10–10 लाभार्थियों से अनुसूचियाँ भरी गयी जबकि चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति में HDN टैक्सटाइल, मरू शक्ति संस्थान के संस्था प्रधान द्वारा योजनान्तर्गत प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

अध्ययन हेतु एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों को आधार मानकर इकाई स्थापित करने वाले दो केन्द्रों यथा ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग दूदू जिला जयपुर एवं बांधनी उद्योग, सुजानगढ़ जिला चुरू का चयन किया गया एवं एक ऐसी इकाई का चयन किया गया जिसने एम.ओ.यू. में वर्णित शर्तों के आधार पर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर अन्य व्यवसाय गतिविधि जैसे डेयरी, बकरी पालन आदि कार्य प्रारम्भ किया गया। इन तीन चयनित इकाइयों के लिए एम.ओ.यू. में वर्णित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

ब्ल्यू पोटरी उद्योग, दूदू जिला जयपुर

चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	M.O.U. की हस्ताक्षरित दिनांक	अवधि	उत्पादन इकाई का नाम	इकाई	कार्यकारी दल एवं नोडल एजेन्सी का गठन	निर्धारित व्यावसायिक योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
जयपुर	दूदू	2006–07	3 वर्ष	नीरजा इन्टरनेशनल	आंवला / ब्ल्यू पॉटरी	1. रूड़ा 2. नीरजा इन्टरनेशनल 3. पं.स. दूदू	1. सतत जीविकोपार्जन 2. हस्तकला व कौशल संरक्षण 3. ब्ल्यू पॉटरी क्लस्टर का व्यावसायिक विकास

MOU में कार्यकारी दलों को सौंपे गये दायित्व	पूर्ण किये गये दायित्व
9	10
(A) **रूडा द्वारा सहमति दायित्व** : 1. बेसलाइन सर्वेक्षण 2. सामूहिक विकास एवं सामान्य समन्वय 3. प्रशिक्षण व्यवस्था 4.कार्यक्रमों की डिजाइन तैयार करना 5. सामुदायिक वृक्षारोपण एवं अन्य सामुदायिक विकास के कार्यक्रम 6. बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराना 7. वेबसाइट एवं पोर्टल सुविधा 8. ब्राण्डिंग	1. प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2. प्रमुख उत्पादों हेतु राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध करायी गयी। 3. डिजाइन कार्यशाला आयोजित 4. राज्य स्तर पर बाजार उपलब्ध कराये गये। 5. बाजार की व्यवस्था हेतु इकाई की मेलों में भागीदारी। 6. कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित करना।
(B) **नीरजा इन्टरनेशनल के दायित्व** : 1. कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा बाजार का अध्ययन। 2. बाजारीकरण तथा समन्वय नीति 3. बाजार संवर्द्धन 4. 3 वर्षों के लिए व्यावसायिक विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना 5. व्यापार संवर्द्धन	1. स्थानीय दक्षकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराया गया। 2. विपणन की व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष उत्पाद मूल 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया गया। 3. निर्यात व्यापार को बढ़ावा दिया गया। 4. नई–नई डिजाइन तैयार करने हेतु नये कलर्स तैयार किये गये।
(C) **पंचायत समिति दूदू के दायित्व** : 1. आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन, बिजली, सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से जोड़ने आदि में सुधार 2. सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना 3. सामाजिक वानिकी का विकास 4. सामुदायिक मॉबिलाइजेशन 5. व्यापार संवर्द्धन	1. भवन, बिजली, सड़क से जोड़ा गया। 2. नये–नये व्यक्तियों को संस्था से जोड़ा गया ताकि नई यूनिट लगायी जा सके। 3. खुर्रा निर्माण कराया गया।

कार्यकारी दलों का उत्पाद, प्रक्रिया एवं अन्तराल विश्लेषण	तकनीकी सहायता/ प्रशिक्षण व्यवस्था	उत्पाद की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग	विपणन व्यवस्था
11	12	13	14
कच्चे माल को तैयार कर पक्के माल के रूप में बाजार में आने तक लागत बढ़ने से उत्पाद के दामों में वृद्धि हो जाती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में टिक नहीं पाती।	नई नई डिजाइन तथा नये कलर्स बनाने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुणवत्ता की किस्म उत्तम है।	मेलों/ प्रदर्शनी का आयोजन

3.1.0 ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग :

3.1.1 ''पंचायती राज द्वारा ग्रामीण सम्पन्नता तथा गरीबी उन्मूलन'' विषय पर 26 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सुझावों की अनुपालना में तथा केन्द्रीय मंत्रालय पंचायती राज, राजस्थान सरकार तथा भारतीय उद्योग संघ के संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर कोट जेवर, पंचायत समिति दूदू, जयपुर में ब्ल्यू पॉटरी ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र प्रारम्भ किया गया। यह केन्द्र लोक निजी तथा पंचायत तीनों की भागीदारी के आधार पर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों तथा वृहत बाजार व्यवस्था हेतु वस्तुओं का उत्पादन के मूल उद्धेश्य के साथ प्रारम्भ किया गया।

3.1.2 ब्ल्यू पॉटरी उद्योग सर्वेक्षण के दौरान कार्यरत पाया गया। इस उद्योग की नोडल एजेन्सी रूडा (RUDA) है तथा ग्रामीण/हैरीटेज क्राफ्ट उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा और अधिक उन्नत उत्पादकता बनाये रखने हेतु वर्ष 2006–07 में रूडा (RUDA), नीरजा इन्टरनेशनल तथा पंचायत समिति, दूदू के मध्य एम.ओ.यू. पर 3 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किये गये। जिसे प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना है।

3.2.0 MOU के अन्तर्गत कार्यकारी दलों को सौंपे गये दायित्व तथा कार्यकारी दलो द्वारा पूर्ण किये गये दायित्वः

3.2.1 (A) **नोडल एजेन्सी–रूडा के दायित्व** : ब्ल्यू पॉटरी उद्योग के संचालन हेतु नोडल एजेन्सी RUDA (Rural Non Farm Development Agency) को MOU के अन्तर्गत निम्न दायित्व सौंपे गये :–

(1) बेसलाइन सर्वेक्षण
(2) सामूहिक विकास एवं आपसी समन्वय
(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
(4) कार्यक्रमों की डिजाइन तैयार करना
(5) सामुदायिक वृक्षारोपण तथा अन्य सामुदायिक विकास के कार्यक्रम

(6) विपणन की व्यवस्था उपलब्ध कराना
(7) वेबसाइट एवं पोर्टल सुविधा उपलब्ध कराना
(8) ब्राण्डिंग

3.2.2 **नोडल एजेन्सी रूडा द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

(i) मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत नोडल एजेन्सी रूडा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अर्जित उपलब्धियों के संबंध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि रूडा द्वारा प्रमुख उत्पादों हेतु लघु खनिज उप क्षेत्र (राज्य आयोजना मद) द्वारा 3.00 लाख रूपये राशि की व्यवस्था की गयी जो कि व्यवसाय हेतु पर्याप्त होना अवगत कराया गया।

(ii) विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में एक एवं वर्ष 2008–09 में 2 इस प्रकार कुल 3 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर 60 दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 दस्तकारों को प्रशिक्षित किया गया।

(iii) रूडा द्वारा केन्द्र में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु राज्य स्तर पर तथा राज्य से बाहर बाजार उपलब्ध करवाये गये, जिसमें CII मेला चण्डीगढ़, सरस मेला IITF, नई दिल्ली, D-CH मेला 2008, जयपुर, दस्तकार मेला, बैंगलोर एवं दिल्ली, सूरजकुण्ड मेला, नई दिल्ली आदि प्रमुख हैं जहाँ उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त किया गया।

(iv) विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों की डिजाइन निर्धारण हेतु वर्ष 2007–08 में एक तथा वर्ष 2008–09 में 1 कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(v) रूडा द्वारा बाजार सुविधा प्रदान करने के दायित्व की पूर्ति हेतु इकाई के उत्पादों के विक्रय के लिए प्रतिवर्ष 3 मेले के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 2006–07 में 4, वर्ष 2007–08 में 3 तथा वर्ष 2008–09 में 5 इस प्रकार कुल 12 मेलों का आयोजन किया गया, जो विभाग की योजना के प्रति अच्छी उपलब्धि का परिचायक है।

(vi) विभाग द्वारा केन्द्र के क्रिया कलापों को नवीनतम तकनीक से अपडेट करने हेतु वर्ष 2008–09 में वेबसाइट बनाने हेतु आदेश दिया जाना पाया गया किन्तु सर्वे दिनांक तक नीरजा संस्थान की वैबसाइट नहीं बन पाई थी।

(vii) रूडा द्वारा व्यवसाय में निर्मित उत्पादों की पहचान हेतु वर्ष 2007–08 में **जयपुर ब्ल्यू** के नाम से ट्रेडमार्क एवं वर्ष 2008–09 में जी आई (Geographical Indication Act 1999) अपनाया जाना अवगत कराया गया जिसके परिणामस्वरूप 'जयपुर ब्ल्यू' को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिली तथा पेटेन्ट अधिकार मिलने से विश्व में कहीं भी अन्य उत्पादक इसका उत्पादन/विपणन अन्य किसी नाम से नहीं कर सकेंगे।

3.2.3 (B) **नीरजा इण्टरनेशनल के दायित्व** : MOU के अन्तर्गत कार्यकारी संस्था के रूप में नीरजा इन्टरनेशनल के निम्न दायित्व निर्धारित किये गये :–

(1) कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा बाजार का अध्ययन करना
(2) विपणन व्यवस्था तथा समन्वय नीति बनाना
(3) बाजार संवर्द्धन
(4) 3 वर्षों के लिए व्यावसायिक विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना
(5) व्यापार संवर्द्धन

3.2.4 **नीरजा इन्टरनेशनल संस्था द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

कार्यकारी संस्था नीरजा इण्टरनेशनल द्वारा MOU के निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत अर्जित उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :–

(i) नीरजा इण्टरनेशनल संस्थान द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में मूल्यांकन दल को अवगत कराया गया कि दस्तकारों को अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध कराने के हरसम्भव प्रयास किये जाते हैं। संस्था द्वारा 50 प्रतिशत कच्चा माल पहले मंगवा दिया जाता है, जिसके लिए दस्तकार बाद में भुगतान करते रहते हैं।

(ii) तैयार उत्पादों की विपणन व्यवस्था तथा व्यावसायिक विकास योजना तैयार करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर संस्थान की निदेशक ने अवगत कराया कि विपणन हेतु प्रतिवर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है तथा उत्पाद विक्रय के लिए भारत एवं अन्य देशों में भी मेलों का आयोजन कर प्रत्येक मेले में 2–2 दक्षकारों को भी भेजा जाता है।

(iii) आगामी 3 वर्षों की व्यावसायिक विकास योजना तैयार करने के संबंध में संस्थान की निदेशिका द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिवर्ष उत्पाद मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ाये जाने का प्रावधान है तथा और अधिक व्यवसाय विकास हेतु नये–नये डिजाइन तथा नये–नये कलर्स तैयार करने के लिए दक्षकारों को समय–समय पर संस्था द्वारा प्रशिक्षण/जानकारी दी जाती रहती है।

(iv) अध्ययन के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा संस्थान का भौतिक सत्यापन करने पर सर्वे दिनांक को निर्धारित इकाई का ही चयन किया जाकर केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

(v) संस्थान के संचालक ने मूल्यांकन दल को अवगत कराया कि प्रमुख उत्पादों हेतु राशि (फण्ड) की व्यवस्था स्वयं के द्वारा ही की जाती है।

3.2.5 (C) **पंचायत समिति, दूदू के दायित्व** : MOU के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंचायत समिति, दूदू के निम्न दायित्व सौंपे गये :–

(1) आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन, बिजली, सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से सम्पर्क आदि को और अधिक बेहतर करना
(2) सार्वजनिक स्तर पर सुविधा केन्द्रों की स्थापना
(3) सामाजिक वानिकी का विकास
(4) सामुदायिक मोबिलाइजेशन

3.3.6 **पंचायत समिति, दूदू द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

(i) पंचायत समिति, दूदू की जिम्मेदारियों में से प्रमुख आधारभूत ढाँचे जिसमें भवन, सड़क, बिजली, पानी, संचार आदि सुविधाओं में निरन्तर सुधार करना है। इस संबंध में सर्वेक्षण के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने अवगत कराया कि 10 बीघा भूमि आवंटन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. एवं प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया गया है परन्तु सर्वे दिनाक तक सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार सड़क सुधार, पावर कनेक्टिविटी, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के बारे में बजट प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं करवाया जाना अवगत कराया है।

(ii) सामाजिक वानिकी के विकास के बारे में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि क्षेत्र की जमीन क्षारीय तथा फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण आँवला के पेड़ों के लिए यहाँ की भूमि उपयुक्त नहीं है।

(iii) सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी सामने आई कि व्यवसायों के Periodic Review एवं Course Correction के लिए जिला पंचायत की अध्यक्षता में प्रबन्धकीय कमेटी बनायी गयी है, जिसमें इकाई के अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष को शामिल किया गया है। प्रत्येक माह की 20 तारीख को कमेटी की बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें आय व्यय के संबंध में चर्चा की जाती है तथा माल का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(iv) दस्तकारों की दक्षकारी एवं Infrastructure को विकसित करने हेतु वर्ष में 2–3 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें प्रति कैम्प लगभग 70 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर करीबन 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

(v) अध्ययन के दौरान मूल्यांकन दल को यह भी अवगत कराया गया कि निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु पंचायत समिति के सहयोग से जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर एवं राज्य से बाहर जिनमें बैंगलोर, चण्डीगढ़, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई तथा गोआ प्रमुख हैं, में भी बाजार उपलब्ध कराये गये।

3.4.0 कार्यकारी दलों द्वारा उत्पाद प्रक्रिया एवं अन्तराल विश्लेषण :

3.4.1 सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा कार्यकारी दलों द्वारा तैयार उत्पाद का कच्चे माल का पक्के माल तक पहुँचने की प्रक्रिया तथा उसके पश्चात् माल के बाजार तक विपणन व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहने पर अवगत कराया गया कि उत्पाद को तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी भट्टियाँ उचित मापदण्ड की नहीं होने के कारण पक कर आने वाला माल शत प्रतिशत मात्रा में नहीं आता जिससे माल की लागत बहुत बढ़ जाती है एवं परिणामस्वरूप माल के दामों में वृद्धि के कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में तैयार माल का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिकना मुश्किल होता है।

3.4.2 कार्यकारी दल के रूप में पंचायत समिति, दूदू के स्तर पर यह अवगत कराया गया कि तैयार उत्पादित माल लेने हेतु राज्य स्तर पर संस्थाओं का अभाव होने से भी उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता।

3.5.0 तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण व्यवस्थाः

3.5.1 ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के मूल उद्धेश्य समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी दक्षकारी तथा कला का उपयोग वस्तुओं को बनाने में करना, उनके विपणन को सुदृढ़ करना तथा उससे रोजगार सृजन करना हें जिसके लिये दक्षकारों को नई–नई तकनीकी के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस दायित्व की पूर्ति हेतु नोडल एजेन्सी रूडा तथा पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नयी–नयी डिजाईन तथा नये कलर्स तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा तकनीकी विकास के लिए CGCRI (Central Glass & Ceramic Research Institute) से अध्ययन करवाया गया जिसके उपरान्त संस्थान में गैस आधारित भट्टी व उन्नत ग्लेज के लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

3.6.0 उत्पाद की गुणवत्ता एवं पैकेजिंगः

3.6.1 संस्थान के सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन दल के सदस्यों द्वारा इकाई में उत्पादित वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करने पर माल की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग उतम किस्म की पायी गयी।

3.7.0 विपणन व्यवस्थाः

3.7.1 इकाई में उत्पादित माल की विपणन व्यवस्था तथा सम्बन्धित घटकों में आपसी समन्वय के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि उत्पाद विक्रय के लिये कार्यकारी दलों द्वारा राज्य, अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में भी मेलों व प्रदर्शनी का आयोजन कर दस्तकारों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। उचित विपणन व्यवस्था हेतु उत्पाद मूल्य प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाया जाता है। साथ ही संस्थान द्वारा उत्पादों का अन्य देशों में निर्यात कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है।

अतः निष्कर्ष के तौर पर योजनान्तर्गत दक्षकारों को उत्पाद तैयार करने हेतु कच्चा माल, तैयार माल के विपणन की व्यवस्था, रोजगार की निरन्तरता तथा नई–नई डिजाइन निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजन आदि की व्यवस्था समुचित न होने से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र धीरे–धीरे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। जिससे निर्धारित उद्धेश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है।

बांधनी उद्योग, सुजानगढ़

चयनित जिला	चयनित पं. स.	MOU की हस्ताक्षरित दिनांक	अवधि	उत्पाद चैम्पयन का नाम	इकाई	कार्यकारी दल एवं नोडल एजेन्सी का गठन	निर्धारित व्यावसायिक योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
चुरू	सुजानगढ़	31.10.2006	9 माह 30.06.07 तक	HDN Textile चुरू	बूँदी बंधेज	मरू शक्ति संस्थान (प्रशिक्षणदाता) DPIP चुरू (नोडल एजेन्सी)	1. सतत् जीविकोपार्जन 2. हस्तकला व कौशल संरक्षण 3. समन्वित कलस्टर का निर्माण 4. उत्पादन निर्माण

MOU में कार्यकारी दलों को सौंपे गये दायित्व	पूर्ण किये गये दायित्व	कार्यकारी दलों द्वारा उत्पाद प्रक्रिया एवं अन्तराल विश्लेषण	तकनीकी सहायता / प्रशिक्षण व्यवस्था	उत्पाद गुणवत्ता व पैकेजिंग	विपणन व्यवस्था
9	10	11	12	13	14
HDN Textile : 1. कौशल संवर्द्धन 2. विपणन व्यवस्था 3. सतत् रोजगार प्रदान करना **मरू शक्ति संस्थान :** 1. प्रशिक्षण प्रदान करना 2. उत्पाद चैम्पयन से समन्वय 3. समूहों का गठन **DPIP :** 1. बजट व्यवस्था 2. विभिन्न दलों में समन्वय	प्रशिक्षण प्रदान किया गया	पैकेजिंग, उत्पाद गुणवत्ता व कौशल संवर्द्धन व विपणन व्यवस्था	HDN एवं संस्था द्वारा प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता प्रदान की गयी।	DPIP योजना की अवधि समाप्त। अतः प्रशिक्षणोपरान्त कोई कार्य नहीं हुआ	–

3.8.0 **बांधनी उद्योग, सुजानगढ़** :

3.8.1 ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के लाभों के अध्ययन हेतु मूल्यांकन करने के लिए द्वितीय केन्द्र के रूप में बांधनी उद्योग, सुजानगढ़ जिला चुरू का चयन किया गया। सुजानगढ़ पंचायत समिति में बूँदी बन्धेज हस्तकला को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 31.10.06 को एच.डी.एन. टेक्सटाइल, सुजानगढ़, मरू शक्ति संस्थान, जिला परियोजना प्रबन्धक, डी.पी.आई.पी., चुरू एवं प्रधान पंचायत समिति, सुजानगढ़ के मध्य एम.ओ.यू. पर 9 माह की अवधि (दिनांक 30 जून, 2007 तक) के लिए हस्ताक्षर किये गये। डी.पी. आई.पी. परियोजना की अवधि बढ़ने पर एम.ओ.यू. की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया था।

3.8.2 यह ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र भी लोक–निजी पंचायत समिति साझेदारी मॉडल पर आधारित था जिसका मुख्य उद्धेश्य क्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन हेतु बंधेज (टाई एण्ड डाई) कला के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा तथा संसाधनों का उपयोग करके रोजगार उपलब्ध कराना था जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बांधनी कला को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत समिति, सुजानगढ़ जिला चुरू में बनाये केन्द्र को मूर्त देने हेतु हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुसार सामूहिक विकास हेतु DPIP योजना के तहत् ''बंधेज (टाई एण्ड डाई) समूह'' का निर्माण किया गया जिसमें लगभग 180 सदस्यों (18 सी.आई.जी.) के समूह का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सुजानगढ़ क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक रंगरेज तथा लगभग 20,000 ग्रामीण महिलाएँ इस बंधेज कला से जुड़ी हुयी हैं। इसके अलावा क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवार से जुड़ी अन्य महिलाओं की पहचान कर उन्हें DPIP की सहायता से समूह को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।

3.9.0 **MOU में कार्यकारी दलों को सौंपे गये दायित्व तथा कार्यकारी दलो द्वारा पूर्ण किये गये दायित्वः**

3.9.1 केन्द्र में बांधनी कला के विकास हेतु विभिन्न कार्यकारी दलों को सौंपे गये दायित्वों का विवरण निम्न प्रकार है :–

A. **HDN टेक्सटाइल को सौंपे गये दायित्व** :

भारतीय उद्योग परिसंघ, राजस्थान (CII) का सदस्य होने के कारण HDN टेक्सटाइल द्वारा सुजानगढ़, चुरू में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र खोलने के लिए "Product Champion" के रूप में भूमिका निभाई। इस हेतु HDN टेक्सटाइल की निम्न जिम्मेदारी निर्धारित की गयी :–

1. स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन व्यवस्था

2. समूह के सदस्यों को निरन्तर कार्य उपलब्ध करवाना। ऐसा न होने की स्थिति में समूह अन्य कम्पनी केसाथ कार्य करने अथवा खुले बाजार से कार्य लेने को स्वतंत्र होंगे।

3. संविदा अवधि के दौरान समूह के कौशल निर्माण और/अथवा कौशल संवर्धन हेतु विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

A. **HDN टेक्सटाइल द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

योजनान्तर्गत MOU के अनुसार उत्पादन चैम्पियन के रूप में HDN टेक्सटाइल का मुख्य दायित्व बूंदी बंधेज कार्य में कौशल वृद्धि करने एवं माल के विपणन व्यवस्था

एवं विभिन्न समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था ताकि समूहों की महिलाओं को लगातार कार्य मिलता रहा। संस्था प्रधान ने इस संदर्भ में अवगत कराया कि 17 समूहों में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम 19 फरवरी, 2007 को पूर्ण कर लिया गया। DPIP चुरू द्वारा दिनांक 25.08.2007 को ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के लिए बूंदी बंधेज क्लस्टर का प्रस्ताव मांगा गया जिसे दिनांक 27.10.07 को स्वपोषित आधार पर 133 समूहों की महिलाओं ने अपना अनुमोदन देकर प्रस्ताव DPIP चुरू व जयपुर के अधिकारियों के समक्ष प्रेषित किया। तत्पश्चात क्लस्टर हेतु प्रस्ताव दिनांक 06.01.08 को DMERT के समक्ष प्रस्तुत किया, उन्होने अपनी सहमति देते हुए DPIP जयपुर को भिजवाया जाना सूचित किया किन्तु इसके पश्चात योजनान्तर्गत प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं हुयी।

संस्था प्रधान ने यह भी अवगत कराया कि राज्य परियोजना प्रबन्धक इकाई द्वारा सूचित किया गया है कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की नोडल एजेन्सी DPIP के स्थान पर वर्ष 2009 में उद्योग विभाग को कर दिया गया है। संस्था द्वारा उद्योग विभाग, चुरू से सम्पर्क करने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि पुनः संशोधन कर वर्तमान में उद्योग विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को उक्त दायित्व सौंपा गया है।

उक्त समस्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि विभागों में आपसी समन्वय का अभाव होने तथा योजना के उद्धेश्यों पर प्रभावी तरीके से कार्य न करने के कारण योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

B. **मरू शक्ति संस्थान के निर्धारित दायित्व** :

मरू शक्ति संस्थान के निम्न दायित्व निर्धारित किये गये :–

1. निर्धारित योजनानुसार समूह विकास कार्य करवाना।

2. प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. उत्पादन चैम्पियन से समन्वय।

B. **मरू शक्ति संस्थान द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

योजनान्तर्गत स्थापित इकाई का मूल्यांकन दल द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर अवगत कराया गया कि मरू शक्ति संस्थान द्वारा DPIP योजनान्तर्गत 17 समूहों को बूँदी बंधेज के लिए 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। जिसमें 11 ग्रामों से कुल 174 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन महिलाओं को बूँदी बंधेज बांधना, छपाई एवं रंगाई कार्य के तहत प्रशिक्षण दिया गया।

मरू शक्ति संस्थान ने ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र के तहत ग्रामीण विकास विभाग को इन समूहों का एक प्रोजेक्ट DPIP के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें इन महिलाओं का एक फैडरेशन का गठन कर प्रदर्शनियों एवं मेलों के माध्यम से कपड़े बेचना था लेकिन DPIP प्रोजेक्ट पूर्ण होने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। संस्थान के सचिव ने मूल्यांकन दल को संस्थान के सचिव ने जानकारी दी कि माह जून, 2008 तक इस क्षेत्र में काफी प्रयास किये गये तथा CII (Confederation of Indian Industry) का भी उन्हें अपेक्षित सहयोग मिला लेकिन आगे प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण इस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया जा सका। संस्थान के सचिव ने यह भी अवगत कराया कि ग्रामीण महिलाएँ पूर्व में भी छीपों से ओढ़नी, साँफे, चूनड़ी में सिर्फ बांधने का कार्य ही करती थी तथा इसके ऐवज में उन्हें बहुत कम दर पर मजदूरी मिलती थी। अतः संस्था द्वारा प्रयास किया गया कि इन महिलाओं को ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों से जोड़कर उन्हें व्यवसायी के रूप में विकसित किया जा सके।

C. **नोडल एजेन्सी DPIP के दायित्व** :

योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी DPIP विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राजस्थान सरकार का कार्यक्रम है, जो राज्य के उन निर्धनतम 7 जिलों (जिसमें चुरू जिला भी शामिल है) जो बी.पी.एल. परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संघर्षरत है, की गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित किया जा रहा है। नोडल एजेन्सी के रूप में DPIP के निम्न दायित्व निर्धारित किये गये :–

1. समूह विकास हेतु योजनानुसार क्षमता निर्धारण, सामान्य सुविधाएँ, समूह का प्रबन्ध, वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना।

2. समूह की वित्तीय व्यवस्था।

3. अन्य कार्यकारी दलों से समन्वय करना।

C. **नोडल एजेन्सी DPIP द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

योजनान्तर्गत ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के संचालन हेतु निर्धारित नोडल एजेन्सी DPIP की परियोजना अवधि में कोई दायित्व पूर्ण नहीं किया गया। डी पी आई पी परियोजना के अवसान बाद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को नोडल एजेन्सी बनाया गया लेकिन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में भी इस प्रोजेक्ट में कोई कार्य नहीं किया।

D. **पंचायत समिति, सुजानगढ़ को सौंपे गये दायित्व** :

कार्यकारी दल के रूप में पंचायत समिति की निम्न जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गयी :–

1. तैयार उत्पाद जैसे बंधेज सूट, साड़ी, साफा आदि की विपणन व्यवस्था तथा प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय में सहयोग करना।

2. सामान्य सुविधाएँ जैसे डाईंग मशीन, प्रिन्टिंग आदि के लिए भूमि उपलब्ध करना।

3. क्षेत्र में बंधेज कला के उत्तम क्वालिटी के उत्पाद तैयार करने हेतु समूह के लिए आधारभूत ढाँचे का विकास करना।

4. उत्पाद कम्पनी को आवश्यकतानुसार सहयोग करना।

D. **पंचायत समिति द्वारा पूर्ण किये गये दायित्व** :

MOU में वर्णित दायित्वों को पूर्ण करने में पंचायत समिति, सुजानगढ़ की भूमिका नगण्य पायी गयी।

3.10.0 **अन्यः**

3.10.1 ग्राम गनोड़ा जो कि एक महिलाओं का समूह था, में अधिकांश महिलाओं ने योजनान्तर्गत 90 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें बूंदी–बंधेज एवं रंगाई व छपाई का कार्य भी सम्मिलित था। मूल्यांकन के दौरान प्रशिक्षित महिलाओं ने बताया कि प्रशिक्षणावधि में उन्हें कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। मानदेय के रूप में उन्होने प्रतिमाह 600 रूपये प्राप्त करने के साथ–साथ प्रशिक्षण के दौरान उनकी कला कौशल में भी वृद्धि हुयी है। महिला समूहों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी महिलाओं ने इस क्षेत्र में योजना को पुनः क्रियान्वित करने पर जोर दिया।

3.10.2 निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में अधिकांश महिलाओं का कोई आय स्त्रोत नहीं है तथा वे बूँदी बंधेज कार्य से 15–20 रूपये ही प्रतिदिन कमा रही हैं। अतः इस संबंध में विशेष प्रयास कर महिलाओं में प्रशिक्षण के द्वारा कौशल वृद्धि के साथ–साथ उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था भी की जावे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके व उनका मध्यस्थों द्वारा शोषण नहीं हो। यद्यपि DPIP योजना समाप्त होने के फलस्वरूप ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की योजना भी समाप्त हो गयी है। फिर भी एस.जी.एस.वाई (S.G.S.Y.) जैसी योजना से जोड़कर पर्याप्त बजट का प्रावधान कर पुनः प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3.11.0 **भैंस/बकरी पालन उद्योग धौलपुर** :

3.11.1 बाड़ी/बसेड़ी (धौलपुर) कारपेट उद्योग के लिए जयपुर रग्स प्रा.लि. एवं सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज राजस्थान एवं डीपीआईपी को पार्टनर्स बनाया गया एवं दिनांक 05.08.06 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ। हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में कारपेट उद्योग के विकास हेतु दरी/गलीचा आदि का कार्य हाथ में लिया गया लेकिन क्षेत्र की परिस्थितियों एवं परियोजनाओं की सफलता/असफलता को ध्यान में रखते हुए निदेशक, डी.पी.आई.पी. द्वारा एम.ओ.यू. की कार्य प्रकृति के विपरीत अन्य कार्य यथा पशुपालन कार्य परियोजना स्वीकृत की गई।

3.11.2 ई.आर.डी.एस. संस्था द्वारा डी पी आई पी परियोजना के अन्तर्गत बाडी तथा धौलपुर पंचायत समिति में माइक्रो एन्टरप्राइज की गतिविधि रूडा के सहयोग से गलीचा बनाने हेतु लगभग 14 सी आई जी समूह के Sub Project जिला परियोजना प्रबन्धक, डी पी एम, डी पी आई पी को प्रस्तुत किये गये। कुशलता संवर्द्धन एवं विपणन व्यवस्था हेतु जयपुर कारपेट के साथ जून 06 में अनुबन्ध किया गया। जिसके अन्तर्गत 20 C I G's के सदस्यों को गलीचा निर्माण कार्य से जोड़ना था परन्तु संस्था द्वारा पी पी एम, डी पी आई पी, धौलपुर को जमा कराये गये। 14 Sub Project में से सिर्फ 1 प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। जिसके C I G सदस्यों को रूडा, जयपुर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस समूह को जो राशि आवंटित की गयी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं पी पी एम धौलपुर द्वारा समायोजित की जा चुकी है। शेष Sub Project को भैंस तथा बकरी पालन गतिविधि से जोड़ दिया गया। संस्था ERDS भरतपुर को इस अनुबन्ध के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

3.11.3 जिले में कारपेट उद्योग की जगह बकरी/भेंस पालन स्वीकृत हुई लेकिन सर्वे दिनांक को योजना बन्द पाई गई। योजना से संबंधित स्टाफ को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। योजना 2007 तक कार्यशील रही एवं जनवरी 2007 से दिसम्बर 2008 तक कार्यों/परियोजनाओं की यू.सी./सी.सी. तैयार कर भिजवायी गयी।

3.11.4 धौलपुर की दोनों पंचायत समितियों में पशुपालन गतिविधि के सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के आधार पर आरी ग्राम में 3 सी.आई.जी. को भैंस इकाई दी गयी एवं बसेड़ी पंचायत समिति खीरोली व डोमई ग्रामों में बकरी इकाई दी जानी पाई गई। आरी ग्राम में वर्ष 2003–04 में 2 भेंसों के लिए 32000 रूपये सरकार द्वारा दिये गये एवं 7500 रूपये हिस्सा राशि सम्मिलित थी। वर्ष 2003–04 के बाद 2 भेंसों के लिए 34000 रूपये सरकार द्वारा दिये गये एवं 6700 रूपये हिस्सा राशि सम्मिलित की जानी पायी गई।

3.11.5 बकरी इकाई के लिए 23900 रूपये उपलब्ध करवाये गये एवं स्वयं की हिस्सा राशि 4500 रूपये सी आई जी सदस्यों द्वारा जमा करवाया जाना पाया गया।

3.11.6 सर्वे दिनांक को अवलोकित लाभार्थियों की भैंस इकाई में से लाभार्थी की एक भैंस का ही सत्यापन होना पाया गया। अन्य सभी भेंसों का घरेलू जरूरतों के कारण बेचना बतलाया। इसी प्रकार बकरी इकाई भी 2 लाभार्थियों के पास उपलब्ध थी अन्य सभी ने बकरियों का मरना या बेचना बतलाया।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नोडल विभाग एवं गैर सरकारी संगठन के मध्य आपसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो हुए परन्तु क्षेत्र की परिस्थिति एवं परियोजनाओं की सफलता/असफलता के विपरीत निदेशक, DPIP द्वारा MOU's की कार्य प्रकृति के विपरीत भैंस/बकरी पालन, डेयरी इत्यादि गतिविधि लेने के कारण योजना असफल सिद्ध हुई। योजनान्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता इतनी कम थी कि उसका उपयोग घर के खर्चों में कर लिया गया। इस प्रकार ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों का उद्धेश्य एक विफल प्रयास रहा।

————

अध्याय–चतुर्थ

कठिनाइयाँ एवं सुझाव

कार्यक्रम से संबंधित नोडल एजेन्सी पंचायत समितियाँ, संस्थान एवं लाभार्थियों से योजना क्रियान्वयन के दौरान अनुभूत कठिनाईयाँ एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव पर भी विचार प्राप्त किये गये। प्राप्त कठिनाइयों एवं सुझावों का इकाईवार विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

I **ब्ल्यू पॉटरी/आंवला उद्योग** :

1 माल को पकाने की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पाद का नुकसान होता है। भट्टियाँ उचित मापदण्ड की नहीं होने से पककर आने वाला माल 100 प्रतिशत नहीं मिल पाता इसमें टूटफूट हो जाती है एवं फिनिशिंग नहीं आती। इसके अतिरिक्त लकड़ी महंगी होने के कारण माल की लागत बढ़ जाती है एवं लागत बढ़ने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिकना मुश्किल है। अतः सुझाव है कि माल को पकाने हेतु आधुनिक मशीन Electronic Furnance का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

2. क्षेत्रीय भूमि में फलदार वृक्ष की आर्थिकता का सर्वेक्षण उपरान्त ही प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जावे।

3. गांव में सामुदायिक भवन, सभा भवन, शौचालय आदि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था बजट के अभाव में नहीं हो पाई।

अतः उक्त कार्यों हेतु बजट मिलना चाहिए ताकि कार्य संबंधी प्रशिक्षण गांव में ही दिया जा सके।

4. योजना का उद्धेश्य सभी वर्ग के ग्रामीण स्थानीय दक्षकारों द्वारा निर्मित नायाब वस्तुओं को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। परन्तु दक्षकारों से बात करने पर उन्होने अवगत कराया कि जिनके पास बी पी एल कार्ड हैं, उन्हें मेले, प्रदर्शनी आदि में अधिक अवसर प्रदान किये गये।

5. तैयार माल को बेचने के लिए केवल मात्र एक संस्था ही अधिकृत है। अतः दक्षकार निर्धारित कीमत पर ही सामान निर्धारित निजी संस्थान को बेचने पर बाध्य है। जबकि योजना में एक बार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की पहचान बनने के बाद दक्षकार सीधे ही बाजार में अपना उत्पाद/चैम्पियन को बेचें ताकि सही मूल्य प्राप्त हो सके।

अतः सुझाव है कि तैयार माल को बेचने हेतु केन्द्र खोले जावें एवं राज्य स्तर पर उचित मूल्य पर माल खरीदने की व्यवस्था की जावे।

6. दक्षकारों के स्वास्थ्य जाँच की कोई व्यवस्था ग्राम स्तर पर नहीं है। अतः ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावें।

7. तैयार माल का बीमा नहीं होने से दक्षकारों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है।

अतः तैयार माल का बीमा करवाया जाना प्रस्तावित है।

8. गांवों में सड़कों की व्यवस्था नहीं होने से माल परिवहन में कठिनाई आती है। अतः गांवों में सड़कें बनवायी जानी चाहिये।

9. इस कार्यक्रम हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। बिना वित्तीय सहायता के किसी योजना का विकास सम्भव नहीं है।

अतः कार्यक्रम संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावे।

10. कार्यक्रम हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि में किसी भी स्तर पर किसी को कोई रूचि नहीं है। अभी तक उपखण्ड अधिकारी स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।

अतः कार्यक्रम हेतु निर्धारित भूमि आवंटन शीघ्र करवाये जाने की व्यवस्था की जावे।

II बाड़ी/बसेड़ी धौलपुर (बकरी/भैंस पालन) :

अध्ययन हेतु चयनित सभी लाभार्थियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताया है। सभी के मतानुसार इस योजना से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आय में वृद्धि हुई है। इन सबके अतिरिक्त कार्यक्रम में कुछ कमियाँ दृष्टिगत है। सर्वेक्षण के दौरान उपलब्ध कठिनाईयाँ एवं उनके निराकरण हेतु सुझावों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. योजना में सामूहिक गतिविधि नहीं होने से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता।

अतः सुझाव है कि योजना में सामूहिक गतिविधि को अपनाया जावे ताकि नियमित आय हो सकें एवं स्थायी रोजगार प्राप्त हों।

2. व्यवसाय हेतु हिस्सा राशि अधिक है अतः हिस्सा राशि को कम किया जावे।

3. सहायता बीच में रोक दी गई जिससे गतिविधि संचालन पर प्रभाव पड़ा।

अतः सुझाव है कि सहायता राशि एकमुश्त एवं समय पर उपलब्ध करवायी जावे।

4. इकाई हेतु अतिरिक्त संसाधन यथा भैंस हेतु बांटा मशीन, बर्तन इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः सुझाव है कि इकाई से संबंधित अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध करवाये जावें।

5. इकाई हेतु सहायता एक बार ही दी गई। अतः इकाई हेतु पुनः सहायता मिलनी चाहिये।

सर्वेक्षण के दौरान पाया कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों द्वारा संचालित गतिविधियों से ग्रामीण (RBH) प्रभावशाली नहीं हो पाये हैं। इस संदर्भ में क्रियान्वयन विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा भी सहमति जताते हुए टिप्पणी अंकित की गयी है कि उक्त योजना का राज्य में आशातीत लाभ प्रत्यक्षतः लाभार्थियों को प्राप्त नहीं होना प्रतीत होता है। गैर सरकारी संस्थाएँ ही कुछ हद तक लाभान्वित हो पायी हैं। RBH को SGSY जैसी योजना से जोड़कर वित्तीय सहायता भी दी जावे तो कार्यक्रम सक्रिय रूप से विकसित हो सकेगा। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर इनके समक्ष कच्चे माल, उच्च तकनीक की माल पकाने की मशीनें/भट्टी, विक्रय हेतु लुभावने पैकेजिंग की व्यवस्था, परिवहन आदि पक्षों को प्रन्नोत किया जाकर दक्षकारों का पलायन रोका जा सके तथा इनकी स्थिति में सुधार लाया जाकर ग्रामीण परिवेश को सशक्त बनाया जा सके ताकि वैश्विक मंदी जैसी समस्याओं का सामना किया जा सके।

सारांश :

योजनान्तर्गत दक्षकारों को प्रशिक्षण दिया जाना पाया गया है लेकिन प्रशिक्षण का स्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। प्रशिक्षण के बाद दक्षकारों को कच्चा माल, विपणन एवं समूह रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित नहीं किया गया। MOU की क्रियान्विति में पार्टनर्स के आपसी समन्वयन के अभाव में गति नहीं पकड़ पायी। कारपेट (धौलपुर), फ्लोरीकल्चर, अजमेर, शालपट्टू (जैसलमेर) में तो MOU की क्रियान्विति ही नहीं हो पायी शेष MOU में भी सन्तोषजनक कार्य नहीं हुआ है। दिसम्बर 2007 के बाद DPIP समाप्त हो गया तथा कार्य उद्योग विभाग को सितम्बर 09 में सौंपा गया। उद्योग विभाग

स्तर से आदिनांक तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार RBH सिद्धान्त रूप से तो व्यावहारिक योजना थी लेकिन कार्यरूप में प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी। इस संबंध में कार्यकारी विभाग द्वारा प्रतिवेदन टिप्पण में अवगत कराया गया कि इसका कारण राज्य में अन्य ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना हेतु औद्योगिक समूह साझेदार का उपलब्ध नहीं होना रहा है एवं योजना का प्रभावी क्रियान्वयन CII जयपुर चेप्टर के स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन व समीक्षा पर निर्भर है। ग्रामीण दक्षकारों को आय बाबत् सर्वेक्षण के समय वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन दक्षकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से भी आभास नहीं हुआ कि RBH से कोई आर्थिक स्तर में आशान्वित परिवर्तन हुआ हो। ग्रामीण पंचायत व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना हेतु जारी बिजनिस मॉडल के अनुसार केन्द्रों की स्थापना का अपेक्षित लाभ औद्योगिक समूह साझेदार द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर था जो कि अपेक्षित स्तर का प्राप्त नहीं हुआ है।

———